66

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
न्यू ऑफिस भवन, रिंग रोड नं.–2, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)
E-Mail :- rocecbraipur2014@gmail.com

क्रमांक 6908/क्षेका/तक/छ.प.सं.मं/2026 रायपुर दिनांक 19/03/2026

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक,
क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य) भोपाल,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई–5,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

विषय :– माननीय एन.जी.टी. में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्रमांक–42/2026 **"बलौदाबाजार के रियल इस्पात प्लांट में हादसा 6 श्रमिकों की मौत, 5 गंभीर घायल"** के संबंध में।

संदर्भ :– 1. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 13633 दिनांक 13.03.2026.
2 औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा का प्रत्र क्रमांक 234 दिनांक 17.03.2026.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी., सेंट्रल जोन बेंच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्रमांक–42/2026 **"बलौदाबाजार के रियल इस्पात प्लांट में हादसा 6 श्रमिकों की मौत, 5 गंभीर घायल"** के संबंध में कार्यालय के मुख्य रसायनज्ञ एवं सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 17.03.2026 को निरीक्षण किया गया। विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) एवं उद्योग प्रबंधन से प्राप्त दस्तावेज संलग्न कर अग्र आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक क्षेका/छ.प.सं.मं./2026 रायपुर दिनांक / /2026

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सादर सूचनार्थ संप्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

निरीक्षण–प्रतिवेदन

विषय – माननीय एन.जी.टी. में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. कमांक–42/2026 ''बलौदाबाजार के रियल इस्पात प्लांट में हादसा 6 श्रमिकों की मौत, 5 गंभीर घायल'' के संबंध में।

संदर्भ – मंडल मुख्यालय का पत्र कमांक 12691 दिनांक 18.02.2026.

उद्योग का नाम एवं पता	:	मेसर्स रियल इस्पात एण्ड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड ग्राम– बकुलाही एवं धौराभाटा, तहसील–भाटापारा, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)
निरीक्षण दिनांक	:	17.03.2026
निरीक्षणकर्ता	:	श्रीमती चंद्रिका कंवर, मुख्य रसायनज्ञ प्रवीण नाग, सहायक अभियंता
निरीक्षण के समय उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि	:	श्री चंद्रमणी यादव, मैनेजर इन्वायरमेंट

CCCCK)|AE(N)
PPU

विवरण :–

उद्योग को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 23.11.2021 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया गया है। छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को पत्र क्रमांक 9200 दिनांक 13.11.2025 के माध्यम से Sponge Iron (2x650TPD) - 4,48,500 TPA, Waste Heat Recovery Based Power Plant - 40 MW, Ferro Alloys Unit (1x9MVA) with production capacity FeMn- 33,000 MTPA or SiMn- 18,000 MTPA or FeSi- 9,000 MTPA or Pig Iron manufacturing - 36,000 MTPA, Iron Ore Pellet Plant - 0.8 Million Ton per Year, Coal Gasifier Plant (8x3125 Nm3/hr) - 25,000 Nm3/hr हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.01.2027 तक है। उद्योग द्वारा खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट नियम 2016 यथा संशोधित के तहत् मंडल मुख्यालय से प्राधिकार प्राप्त किया गया है जिसकी वैधता दिनांक 01.12.2029 तक है। निरीक्षण के दौरान स्पंज आयरन प्लांट (2x650TPD), डब्ल्यूएचआरबी बेस्ड पॉवर प्लांट 40 मेगावाट, फेरो एलॉय इकाई, आयरन ओर पैलेट प्लांट एवं कोल गैसिफायर प्लांट संचालित पाये गये। निरीक्षण के दौरान जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति नहीं पाई गई।

➤ दुर्घटना का कारण :–

कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा से प्राप्त जानकारी अनुसार उद्योग परिसर के अंतर्गत स्थापित किल्न क्रमांक–01 में भू–तल से लगभग 30 फीट ऊंचाई पर स्थित डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल में चेंबर के भीतर जमे हुये गर्म ऐश (तापमान लगभग 850 से 900 डिग्री सेल्सियस) को वहां पर कार्यरत 11 श्रमिकों द्वारा चलित प्रक्रिया के दौरान ही पोकिंग कर नीचे गिराये जाने का कार्य किया जा रहा था। उस दौरान दिनांक 22.01.2026 को समय प्रातः लगभग 09.40 बजे अचानक गर्म ऐश की अत्यधिक मात्रा वेटस्क्रैपर में गिरने के परिणाम स्वरूप गर्म ऐश और भाप डस्ट सेटलिंग चेम्बर से बाहर निकली जिसकी बौछार के संपर्क में आने से वहां कार्यरत सभी 11 श्रमिक झुलस गए इसके परिणामस्वरुप दुर्घटना स्थल पर ही कुल 06 श्रमिक श्री श्रवण कुमार, उम्र 22 वर्ष (हेल्पर), श्री राजदेव कुमार, उम्र 22 वर्ष (हेल्पर), श्री जितेन्द्र भुईया, उम्र 37 वर्ष (हेल्पर), श्री बदरी भुईया, उम्र 52 वर्ष (हेल्पर), श्री विनय भुईया, उम्र 40 वर्ष (हेल्पर), श्री सुन्दर भुईया, उम्र 50 वर्ष (हेल्पर) की प्राणांतक दुर्घटना घटित हुई तथा कुल 05 श्रमिक श्री कल्पू भुईया, उम्र 44 वर्ष (हेल्पर), श्री रामू भुईया, उम्र 34 वर्ष (हेल्पर), श्री शबीर अंसारी, उम्र 34 वर्ष (हेल्पर), श्री मुमताज अंसरी, उम्र 26 वर्ष (हेल्पर) एवं श्री शराफत अंसारी, उम्र 32 वर्ष (हेल्पर) गंभीर रुप से घायल हो गये जिनमें 03 श्रमिक श्री मुमताज अंसारी, श्री शराफ अंसारी एवं श्री शबीर अंसारी को उपचार हेतु बी.टी.आर.सी. मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बिलासुपर एवं श्री कल्पू भुईया व श्री रामू भुईया को ब्लू विनस प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक रायपुर में ईलाज हेतु भर्ती कराया गया। जिसमें ईलाज के दौरान श्रमिक श्री रामू भुईया की दिनांक 31.01.2026 को मृत्यु हो गई। इस प्रकार, उक्त दुर्घटना में कुल 07 श्रमिकों की मृत्यु हुई है एवं कुल 04 श्रमिक घायल हुये है। जिसमें सभी 04 श्रमिकों का ईलाज उपरांत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा से प्राप्त जानकारी **संलग्नक–01** अनुसार है।

➤ **कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा की गई कार्यवाही :–**

उक्त प्रकरण में दिनांक 22.01.2026 को ही कारखाने का निरीक्षण कर उद्योग अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के तहत कारखाने में स्थापित किल्न क्रमांक–01 के विनिर्माण प्रक्रिया के संचालन एवं मेन्टेनेंस सहित समस्त कार्यों को पूर्णतः तत्काल प्रभाव से रोके जाने हेतु उद्योग प्रबंधन को दिनांक 22.01.2026 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया। साथ ही उद्योग अधिनियम 1948 की धारा

7ए(1), धारा 7ए2(ए), धारा 7ए2(सी), धारा 41 सपठित छ.ग. उद्योग नियम 1962 के नियम 73–ई, धारा 32(1) एवं धारा 41(सी) एवं छ.ग. उद्योग नियमावली 1962 के नियम 131(2) के उल्लंघनों के संबंध में उद्योग के अधिभोगी/प्रबंधक को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर उक्त उल्लंघनों के संबंध में दिनांक 03.02.2026 को प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय बलौदाबाजार में दायर किया गया है। इसका प्रकरण क्रमांक 03/उद्योग अधिनियम/2026 है। वर्तमान में उक्त प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय बलौदाबाजार में विचाराधीन है।

➢ उद्योग प्रबंधन द्वारा की गई कार्यवाही :–

कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा से प्राप्त जानकारी अनुसार उद्योग प्रबंधन द्वारा सुरक्षित कार्यपद्धति (एस.ओ.पी) अनुसार सभी कार्यरत श्रमिकों को एस.ओ.पी के अनुसार कार्य करने हेतु प्रशिक्षण दिये जाने, समस्त कार्य एस.ओ.पी के तहत कराये जाने एवं आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने तथा उनके उपयोग हेतु नियमित निर्देश दिए जा रहे, डस्ट सेटलिंग चेंबर का रखरखाव, अनुरक्षण, तथा मॉनिटरिंग नियमित अंतराल पर किये जाने की जानकारी, श्रमिकों को नियुक्त किये जाने तथा किसी भी कार्य में लगाए जाने से पुर्व सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने, कार्यस्थल से संबंधित संभावित खतरों (वर्क प्लेस हर्जाड्स) की जानकारी आदि के संबंध में जानकारी दस्तावेज एवं फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सक्षम व्यक्ति द्वारा उद्योग का सुरक्षा संपरीक्षा (सेफ्टी ऑडिट) कराये जाने एवं समस्त एस.ओ.पी का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसरों द्वारा प्रमाणित कराये जाने की जानकारी भी प्रदाय की गयी है। उद्योग में स्थापित व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र (OHC) के फोटोग्राफ्स की प्रति संलग्न है, उक्त की प्रति **संलग्नक–02** अनुसार। उद्योग प्रबंधन को जारी नोटिस एवं उद्योग प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की प्रति **संलग्नक–03** अनुसार। उद्योग प्रबंधन द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश के संबंध में प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन एवं कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की समाप्ति बाबत् जारी पत्र की प्रति **संलग्नक–04** अनुसार। उद्योग प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत पब्लिक लायबिलिटी इनसयोरेंस की, ऑनसाईट इमरजेंसी प्लॉन की प्रति एवं कार्यरत् श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण के उपस्थिति पत्रक की प्रति **संलग्नक–05** अनुसार है।

➢ **उद्योग प्रबंधन द्वारा प्रदाय की गई मुआवजा की जानकारी** –: उद्योग प्रबंधन द्वारा 07 मृतक श्रमिकों के आश्रितो एवं 04 गंभीर श्रमिको को दी गई मुआवजा/सहायता राशि की जानकारी निम्नानुसार हैः–

मृतक श्रमिक के आश्रितों को दी गई मुआवजा की जानकारी :–

क्रमांक	मृतक श्रमिक नाम एवं उम्र	आर्थिक सहायता राशि	मुआवजा/पेंशन की जानकारी	रिमार्क
1	श्री श्रवण कुमार (उम्र 22 वर्ष)	20 लाख रूपये	मुआवजा के संबंध में आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय बलौदाबाजार को सूचित किया गया है।	उद्योग प्रबंधन द्वारा आश्रित परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार कंपनी में नियुक्ति प्रदान किया जाने हेतु आश्रित को पत्र प्रेषित किया गया है।
2	श्री राजेदव कुमार (उम्र 22 वर्ष)	20 लाख रूपये	मुआवजा के संबंध में आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय बलौदाबाजार को सूचित किया गया है।	
3	श्री जितेंद्र भुईया (उम्र 37 वर्ष)	20 लाख रूपये	मुआवजा के संबंध में आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय बलौदाबाजार को सूचित किया गया है।	
4	श्री बदरी भुईया (उम्र 52 वर्ष)	20 लाख रूपये	मुआवजा के संबंध में आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय बलौदाबाजार को सूचित किया गया है।	
5	श्री विनय भुईया (उम्र 40 वर्ष)	20 लाख रूपये	मुआवजा के संबंध में आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय बलौदाबाजार को सूचित किया गया है।	
6	श्री सुन्दर भुईया (उम्र 50 वर्ष)	20 लाख रूपये	मुआवजा के संबंध में आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय बलौदाबाजार को सूचित किया गया है।	
7	श्री रामु भुईया (उम्र 37 वर्ष)	20 लाख रूपये	उक्त श्रमिक ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयनक्रमांक 5919186555 है। मुआवजा/पेंशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	

घायल श्रमिको को दी गई मुआवजा की जानकारी

क्रमांक	घायल श्रमिक नाम एवं उम्र	आर्थिक सहायता राशि	मुआवजा/पेंशन की जानकारी	रिमार्क
अस्पताल	श्री कल्पू भुईया	5 लाख रूपये	उक्त श्रमिक ई.एस.	अस्पताल से

से ईलाज उपरांत दिनांक 25.02. 2026 को डिस्चार्ज किया गया है। घायल श्रमिक के ईलाज का सम्पूर्ण खर्च कारखाना प्रबंधन द्वारा वहन किया जा रहा है।	(उम्र 44 वर्ष)		आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक 5919186569 है। मुआवजा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	ईलाज उपरांत दिनांक 25.02. 2026 को डिस्चार्ज किया गया है। घायल श्रमिक के ईलाज का सम्पूर्ण खर्च उद्योग प्रबंधन द्वारा वहन किया जा रहा है।
2.	श्री शबीर अंसारी (उम्र 34 वर्ष)	5 लाख रूपये	उक्त श्रमिक ई.एस.आई. सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक 5919186535 है। मुआवजा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अस्पताल से ईलाज उपरांत दिनांक 16.03. 2026 को डिस्चार्ज किया गया है। घायल श्रमिक के ईलाज का सम्पूर्ण खर्च उद्योग प्रबंधन द्वारा वहन किया जा रहा है।
3.	श्री मुमताज अंसारी (उम्र 26 वर्ष)	5 लाख रूपये	उक्त श्रमिक ई.एस.आई. सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक 5919186588 है। मुआवजा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अस्पताल से ईलाज उपरांत दिनांक 02.02. 2026 को डिस्चार्ज किया गया है।

				घायल श्रमिक के ईलाज का सम्पूर्ण खर्च उद्योग प्रवंधन द्वारा वहन किया गया है।
4.	श्री शराफत अंसारी (उम्र 32 वर्ष)	5 लाख रूपये	उक्त श्रमिक ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक 5919186420 है। मुआवजा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अस्पताल से ईलाज उपरांत दिनांक 02.02.2026 को डिस्चार्ज किया गया है। घायल श्रमिक के ईलाज का सम्पूर्ण खर्च उद्योग प्रवंधन द्वारा वहन किया गया है।

उद्योग प्रबंधन द्वारा मृतकों के परिजनों एवं घायलों को प्रदायित चेक की प्रति संलग्नक–06 अनुसार है। घायल श्रमिकों के ईलाज उपरांज अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रदायित मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रति **संलग्नक–07** अनुसार है। जानकारी कृपया अग्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियंता

मुख्य रसायनज्ञ

संलग्नक - 01

कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एव सुरक्षा,

कक्ष क्रमांक 22, पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)
EMail ID:- ihsbalodabazar10@gmail.com

क्र./स.संचा./ब.बा./2026/231, बलौदाबाजार, दिनांक 17/03/26

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

R.O.C.E.C.B
L.R. NO. 5934
DATE 17.3.26

AE

विषय :- माननीय एन.जी.टी. में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक-42/2026 CZ, "बलौदाबाजार में स्थित **मेसर्स रियल इस्पात प्लांट में हादसा 6 श्रमिकों की मौत, 5 गंभीर घायल**" की जांच प्रतिवेदन एवं मुआवजा के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 6797/क्षेका/तक/छ.प.सं.मं/2026 रायपुर दिनांक 12.03.2026।

............0..............

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से मेसर्स- रियल इस्पात एंड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड., ग्राम- बकुलाही, धौराभाठा, तहसील-भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) में दिनांक 22.01.2026 को घटित गंभीर प्राणांतक दुर्घटना के संबंध में चाही गई जानकारी प्रदाय करने हेतु लेख किया गया है।

2. कारखाना मेसर्स- रियल इस्पात एंड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड., ग्राम- बकुलाही, धौराभाठा, तहसील-भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) में दिनांक 22.01.2026 को घटित गंभीर प्राणांतक दुर्घटना की जानकारी प्राप्त होते ही अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 22.01.2026 को ही कारखाने का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कारखाना परिसर के अंतर्गत स्थापित किल्न क्रमांक-01 में भू-तल से लगभग 30 फीट ऊंचाई पर स्थित डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल में चेंबर के भीतर जमे हुये गर्म ऐश (तापमान लगभग 850 से 900 डिग्री सेल्सियस) को वहां पर कार्यरत 11 श्रमिकों द्वारा चलित प्रक्रिया के दौरान ही पोकिंग कर नीचे गिराये जाने का कार्य किया जा रहा था। उस दौरान दिनांक 22.01.2026 को समय प्रातः लगभग 09.40 बजे अचानक गर्म ऐश की अत्यधिक मात्रा वेटस्क्रैपर में गिरने के परिणाम स्वरूप गर्म ऐश और भाप डस्ट सेटलिंग चेंबर से बाहर निकली जिसकी बौछार के संपर्क में आने से वहां कार्यरत सभी 11 श्रमिक झुलस गए इसके परिणामस्वरुप दुर्घटनाथल पर ही कुल 06 श्रमिक श्री श्रवण कुमार, उम्र 22 वर्ष (हेल्पर), श्री राजदेव कुमार, उम्र 22 वर्ष (हेल्पर), श्री जितेन्द्र भुईया, उम्र 37 वर्ष (हेल्पर), श्री बदरी भुईया, उम्र 52 वर्ष (हेल्पर), श्री विनय भुईया, उम्र 40 वर्ष (हेल्पर), श्री सुन्दर भुईया, उम्र 50 वर्ष (हेल्पर) की प्राणांतक दुर्घटना घटित हुई तथा कुल 05 श्रमिक श्री कल्पू भुईया, उम्र 44 वर्ष (हेल्पर), श्री रामू भुईया, उम्र 34 वर्ष (हेल्पर), श्री शबीर अंसारी, उम्र 34 वर्ष (हेल्पर), श्री मुमताज अंसरी, उम्र 26 वर्ष (हेल्पर) एवं श्री शराफत अंसारी, उम्र 32 वर्ष (हेल्पर) गंभीर रुप से घायल हो गये जिनमें 03 श्रमिक श्री मुमताज अंसारी, श्री शराफ अंसारी एवं श्री शबीर अंसारी को उपचार हेतु बी.टी.आर.सी. मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिलासपुर एवं श्री कल्पू भुईया व श्री रामू भुईया को न्यू विनस प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक रायपुर में ईलाज हेतु भर्ती कराया गया। जिसमें ईलाज के

4435

को मृत्यु हो गई। इसप्रकार, उक्त दुर्घटना में
दौरान श्रमिक श्री रामू भुईया की दिनांक 31.01.2026 को मृत्यु हो गई। ... जिसमें से 03 श्रमिक श्री कल्लू
कुल 07 श्रमिकों की मृत्यु हुई है एवं कुल 04 श्रमिक घायल हुये है जिसमें से 03 श्रमिक श्री कल्लू
भुईया, श्री गुमताज अंसारी एवं श्री शराफत अंसारी को ईलाज उपरांत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया
गया है तथा वर्तमान में श्रमिक श्री शबीर अंसारी का ईलाज ब्लु विनरा हॉस्पिटल रायपुर में जारी है।

3. <u>कार्यवाही -:</u> उक्त प्रकरण में दिनांक 22.01.2026 को ही कारखाने का निरीक्षण कर कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के तहत कारखाने में स्थापित किल्न क्रमांक-01 के विनिर्माण प्रक्रिया के संचालन एवं मेन्टेनेंस सहित समस्त कार्यों को पूर्णतः तत्काल प्रभाव से रोके जाने हेतु कारखाना प्रबंधन को दिनांक 22.01.2026 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया। साथ ही कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7ए(1), धारा 7ए2(ए), धारा 7ए2(सी), धारा 41 सपठित छ.ग. कारखाना नियम 1962 के नियम 73-ई, धारा 32(1) एवं धारा 41(सी) एवं छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के नियम 131(2) के उल्लंधनों के संबंध में कारखाना के अधिभोगी/प्रबंधक को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर उक्त उल्लंघनों के संबंध में दिनांक 03.02.2026 को प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय बलौदाबाजार में दायर किया गया है। इसका प्रकरण क्रमांक 03/कारखाना अधिनियम/2026 है। वर्तमान में उक्त प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय बलौदाबाजार में विचाराधीन है।

4. <u>कारखाना प्रबंधन द्वारा की गई कार्यवाही</u> -: कारखाना प्रबंधन द्वारा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें कारखाने में सुरक्षित कार्यपद्धति (एस.ओ.पी) उपलब्ध है तथा सभी कार्यरत श्रमिकों को एस.ओ.पी के अनुसार कार्य करने हेतु प्रशिक्षण दिये जाने, समस्त कार्य एस.ओ.पी के तहत कराये जाने एवं आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने तथा उनके उपयोग हेतु नियमित निर्देश दिए जा रहे, डस्ट सेटलिंग चेंबर का रखरखाव, अनुरक्षण, तथा मॉनिटरिंग नियमित अंतराल पर किये जाने की जानकारी, श्रमिकों को नियुक्त किये जाने तथा किसी भी कार्य में लगाए जाने से पुर्व सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने, कार्यस्थल से संबंधित संभावित खतरों (वर्क प्लेस हर्जाड्स) की जानकारी आदि के संबंध में जानकारी दस्तावेज एवं फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सक्षम व्यक्ति द्वारा कारखाने का सुरक्षा संपरीक्षा (सेफ्टी ऑडिट) कराये जाने एवं समस्त एस.ओ.पी का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसरों द्वारा प्रमाणित कराये जाने की जानकारी भी प्रदाय की गयी है।

4. <u>कारखाना प्रबंधन द्वारा प्रदाय की गई मुआवजा की जानकारी -:</u> कारखाना प्रबंधन द्वारा 07 मृतक श्रमिकों के आश्रितो एवं 04 गंभीर श्रमिको को दी गई मुआवजा/सहायता राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

मृतक श्रमिक के आश्रितों को दी गई मुआवजा की जानकारी

क्रमांक	मृतक श्रमिक नाम एवं उम्र	आर्थिक सहायता राशि	मुआवजा/पेंशन की जानकारी	रिमार्क
1	श्री श्रवण कुमार (उम्र 22 वर्ष)	20 लाख रूपये	मुआवजा के संबंध में आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय बलौदाबाजार को सूचित किया गया है।	कारखाना प्रबंधन द्वारा आश्रित परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार कंपनी में नियुक्ति प्रदान किया जाने हेतु आश्रित को पत्र
2	श्री राजेदव कुमार (उम्र 22 वर्ष)	20 लाख रूपये	मुआवजा के संबंध में आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय बलौदाबाजार को सूचित किया गया है।	

3	श्री [illegible] भुईया (उम्र 37 वर्ष)	20 लाख रूपये	मुआवजा के संबंध में आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय बलौदाबाजार को सूचित किया गया है।	प्रेषित किया गया है।
4	श्री बदरी भुईया (उम्र 52 वर्ष)	20 लाख रूपये	मुआवजा के संबंध में आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय बलौदाबाजार को सूचित किया गया है।	
5	श्री विनय भुईया (उम्र 40 वर्ष)	20 लाख रूपये	मुआवजा के संबंध में आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय बलौदाबाजार को सूचित किया गया है।	
6	श्री सुन्दर भुईया (उम्र 50 वर्ष)	20 लाख रूपये	मुआवजा के संबंध में आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय बलौदाबाजार को सूचित किया गया है।	
7	श्री रामु भुईया (उम्र 37 वर्ष)	20 लाख रूपये	उक्त श्रमिक ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयनक्रमांक 5919186555 है। मुआवजा/पेंशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	

घायल श्रमिको को दी गई मुआवजा की जानकारी

क्रमांक	घायल श्रमिक नाम एवं उम्र	आर्थिक सहायता राशि	मुआवजा/पेंशन की जानकारी	रिमार्क
1.	श्री कल्पू भुईया (उम्र 44 वर्ष)	5 लाख रूपये	उक्त श्रमिक ई.एस. आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक 5919186569 है। मुआवजा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अस्पताल से ईलाज उपरांत दिनांक 25.02. 2026 को डिस्चार्ज किया गया है। घायल श्रमिक के ईलाज का सम्पूर्ण खर्च कारखाना प्रबंधन द्वारा वहन किया जा रहा है।
2.	श्री शर्वीर अंसारी (उम्र 34 वर्ष)	5 लाख रूपये	उक्त श्रमिक ई.एस. आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक	वर्तमान में श्रमिक का ईलाज जारी है।

			5919186535 है। मुआवजा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	घायल श्रमिक के ईलाज का सम्पूर्ण खर्च कारखाना प्रवंधन द्वारा वहन किया जा रहा है।
3.	श्री मुमताज अंसारी (उम्र 26 वर्ष)	5 लाख रूपये	उक्त श्रमिक ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक 5919186588 है। मुआवजा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अस्पताल से ईलाज उपरांत दिनांक 02.02.2026 को डिस्चार्ज किया गया है। घायल श्रमिक के ईलाज का सम्पूर्ण खर्च कारखाना प्रवंधन द्वारा वहन किया गया है।
4.	श्री शराफत अंसारी (उम्र 32 वर्ष)	5 लाख रूपये	उक्त श्रमिक ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत है। जिनका पंजीयन क्रमांक 5919186420 है। मुआवजा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अस्पताल से ईलाज उपरांत दिनांक 02.02.2026 को डिस्चार्ज किया गया है। घायल श्रमिक के ईलाज का सम्पूर्ण खर्च कारखाना प्रवंधन द्वारा वहन किया गया है।

आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

17.03.26

सहायक संचालक
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

संलग्नक -02

OCCUPATINOL HEALTH CENTER

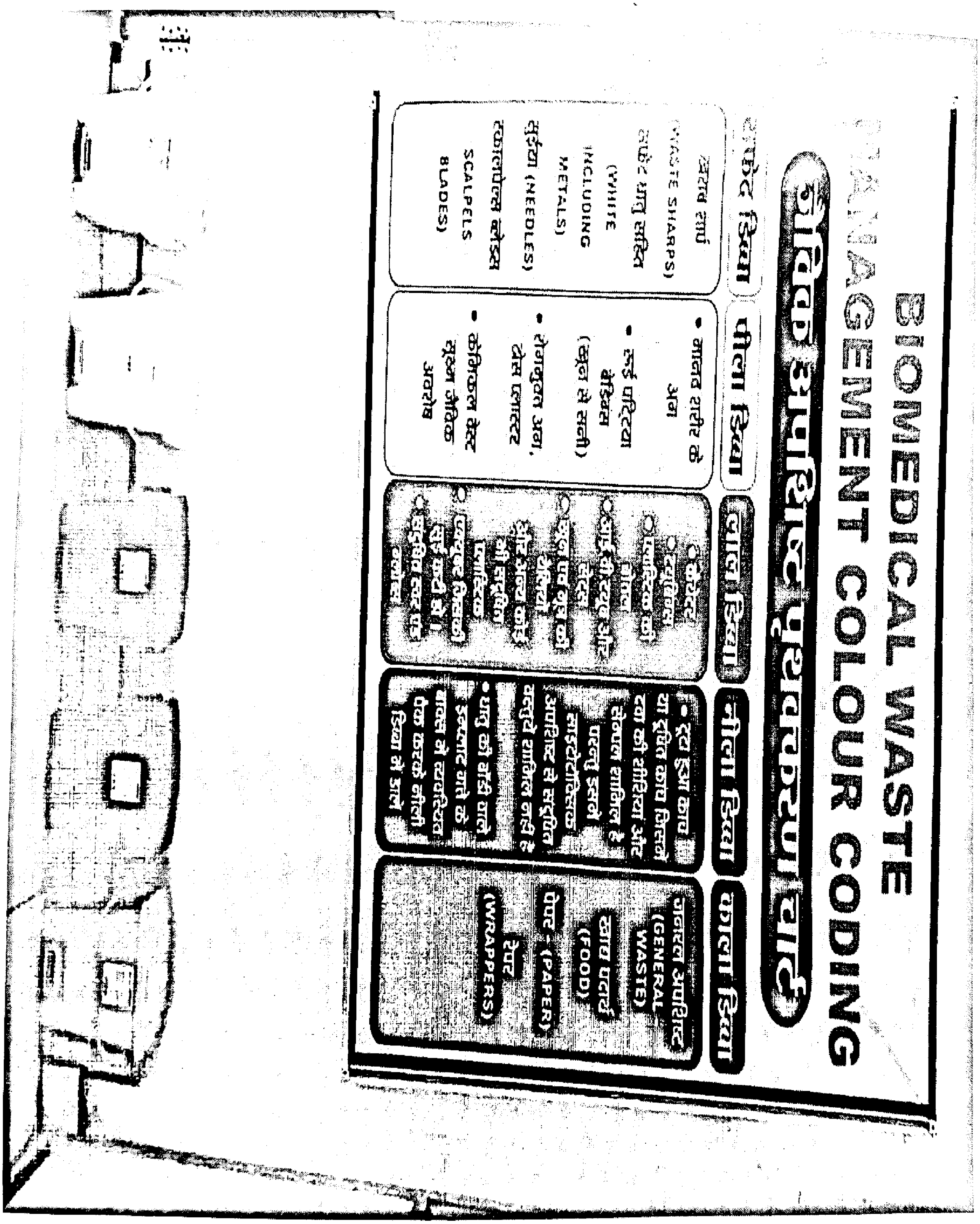
BIOMEDICAL WASTE
MANAGEMENT COLOUR CODING
जैविक अपशिष्ट पृथक्करण चार्ट
पीला डिब्बा
• मानव शरीर के अंग
• रूई पट्टिया बेंडिज्स (खून से सनी)
• रोगयुक्त अंग, प्लास्टर
• केमिकल वेस्ट सूक्ष्म जैविक अवरोध
लाल डिब्बा
नीला डिब्बा
• टूटा हुआ काच या दूषित काच जिसमें दवा की शीशियां और सेम्पल शामिल है परन्तु इसमे साइटोटॉक्सिक अपशिष्ट से संदूषित वस्तुयें शामिल नहीं है
• धातु की बॉडी वाले इम्प्लांट गत्ते के बाक्स में व्यवस्थित पैक करके नीली डिब्बा में डालें
काला डिब्बा
जनरल अपशिष्ट (GENERAL WASTE)
खाद्य पदार्थ (FOOD)
पेपर - (PAPER)
रेपर (WRAPPERS)
(WASTE SHARPS)
(WHITE INCLUDING METALS)
सुईयां (NEEDLES)
SCALPELS BLADES)

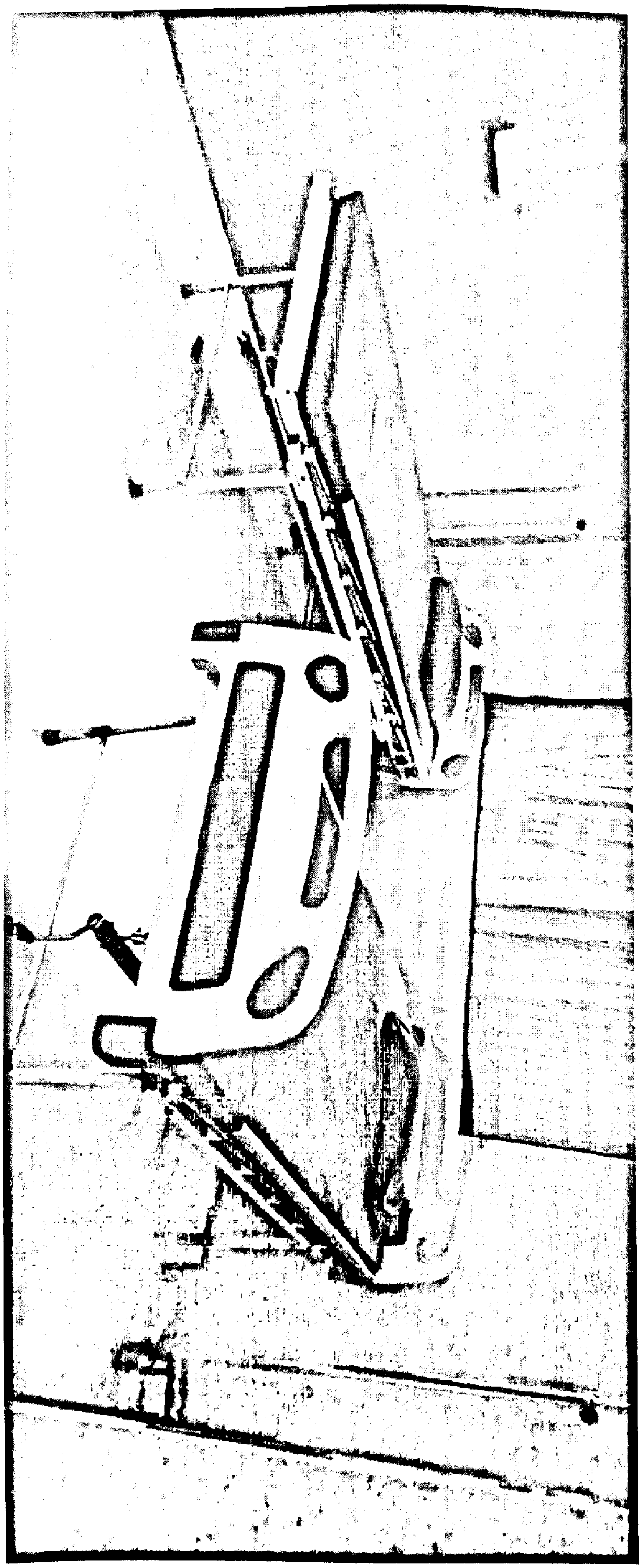

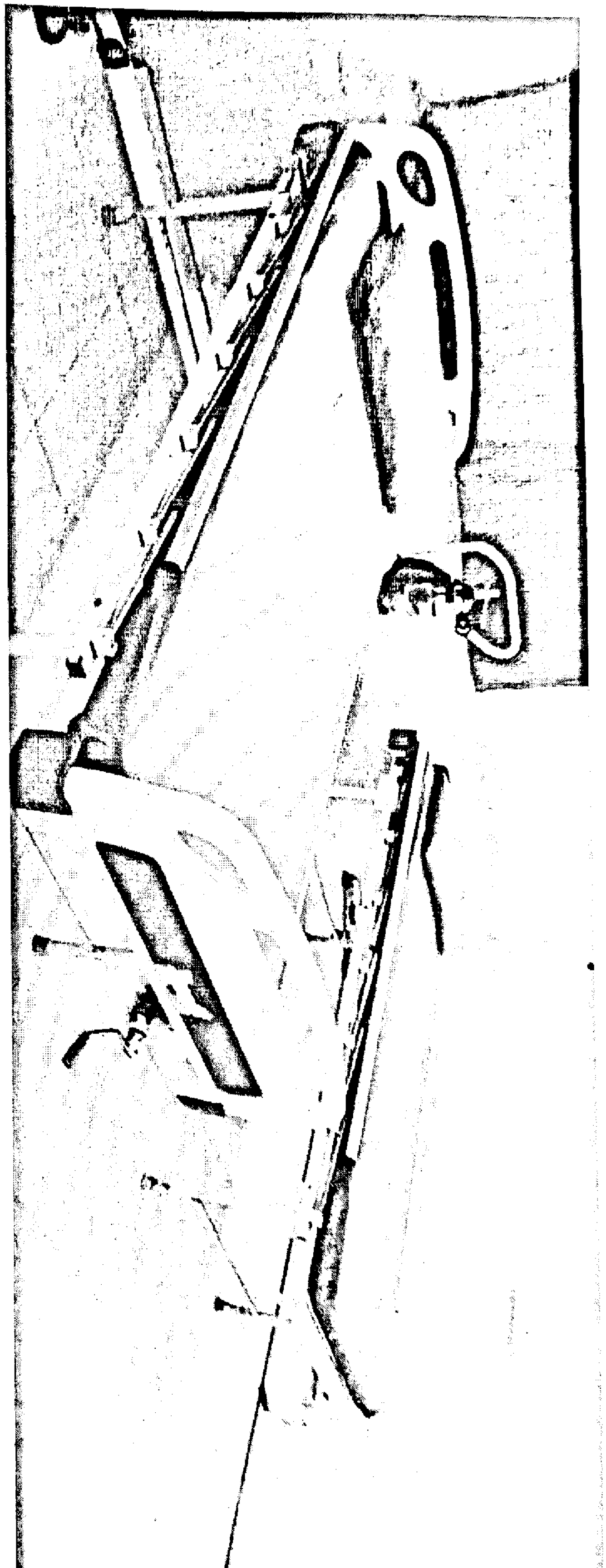

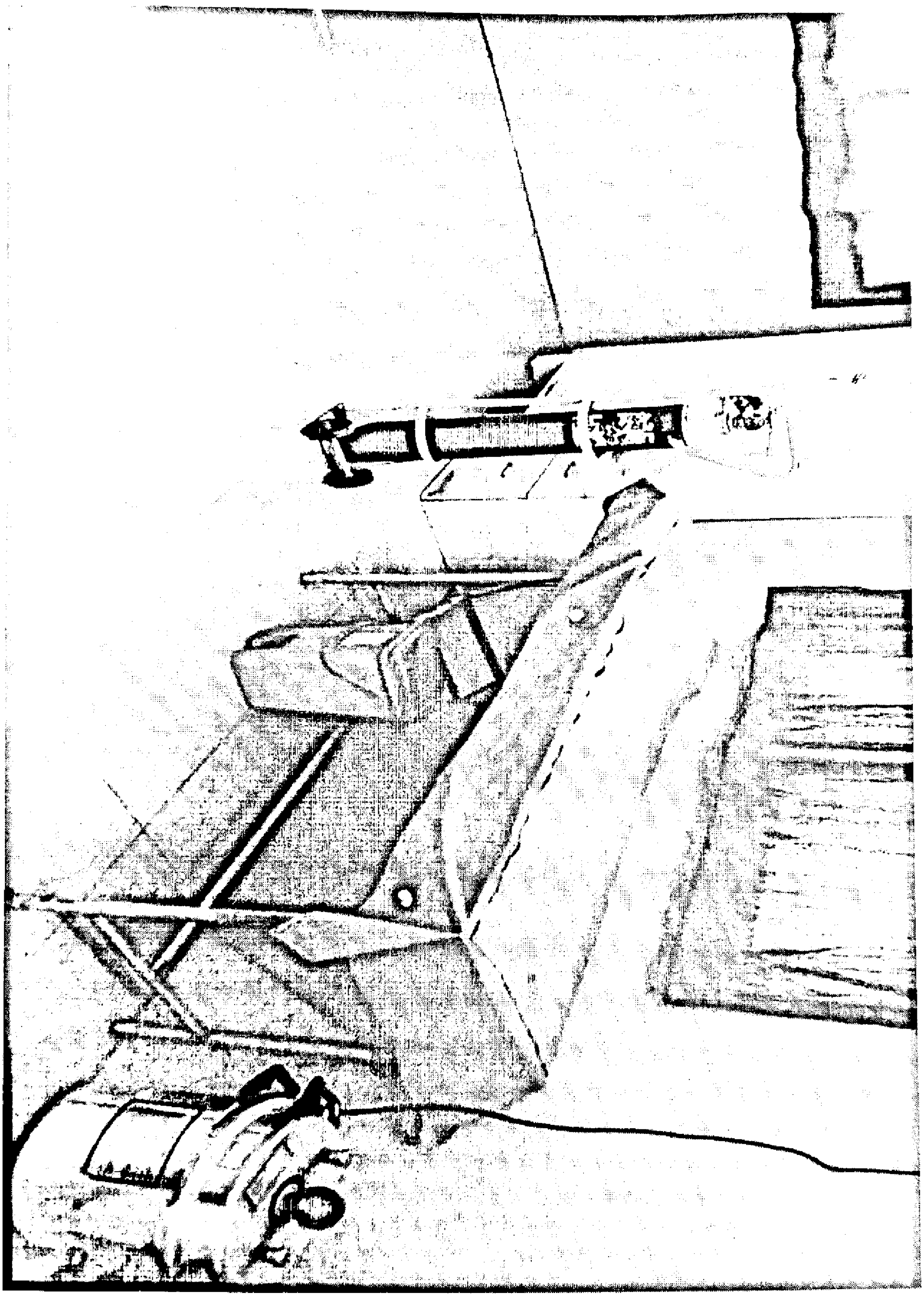

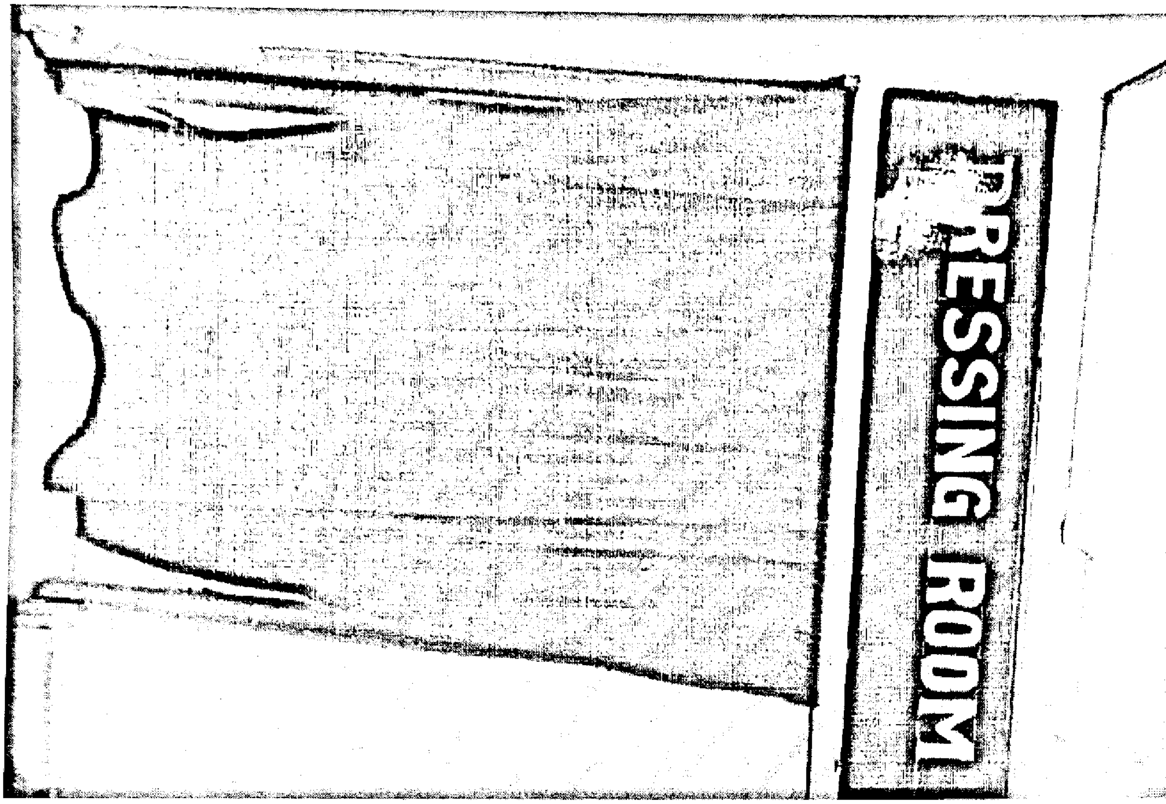
RESSING ROOM

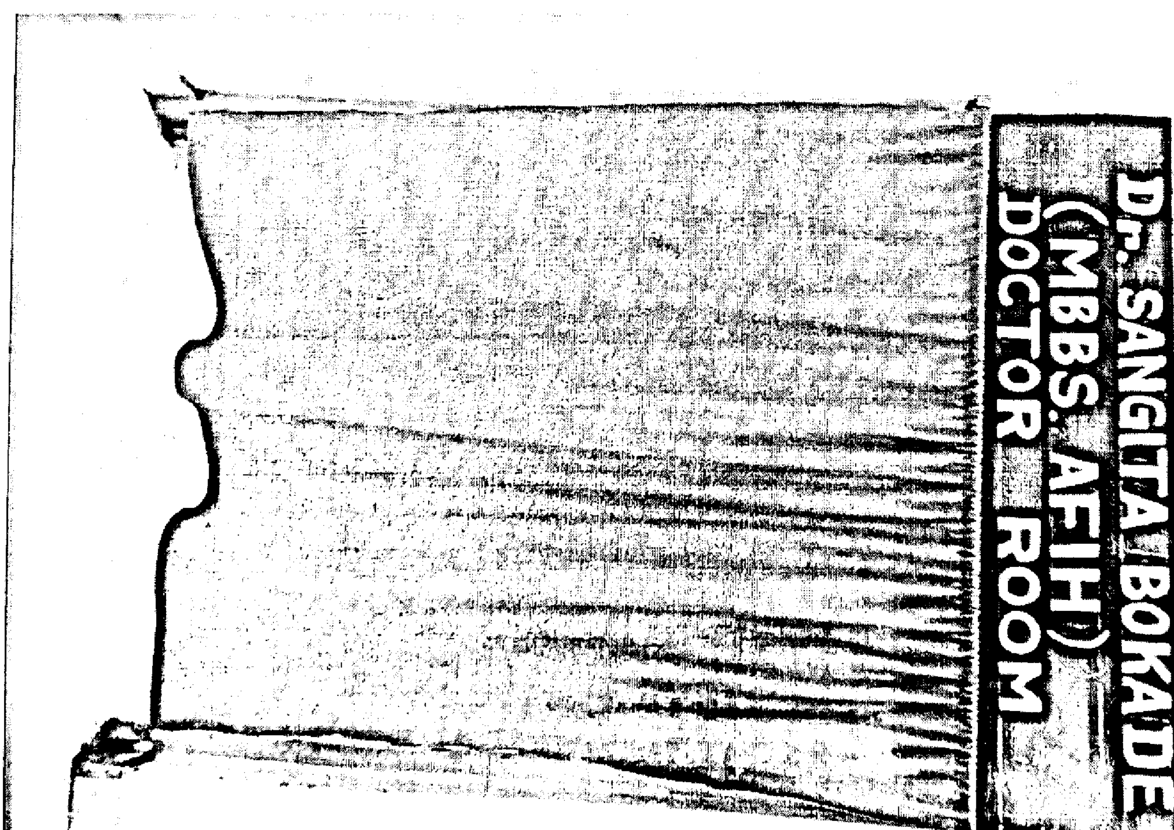
Dr. SANGITA BOKADE
(MBBS. AFIH)
DOCTOR ROOM

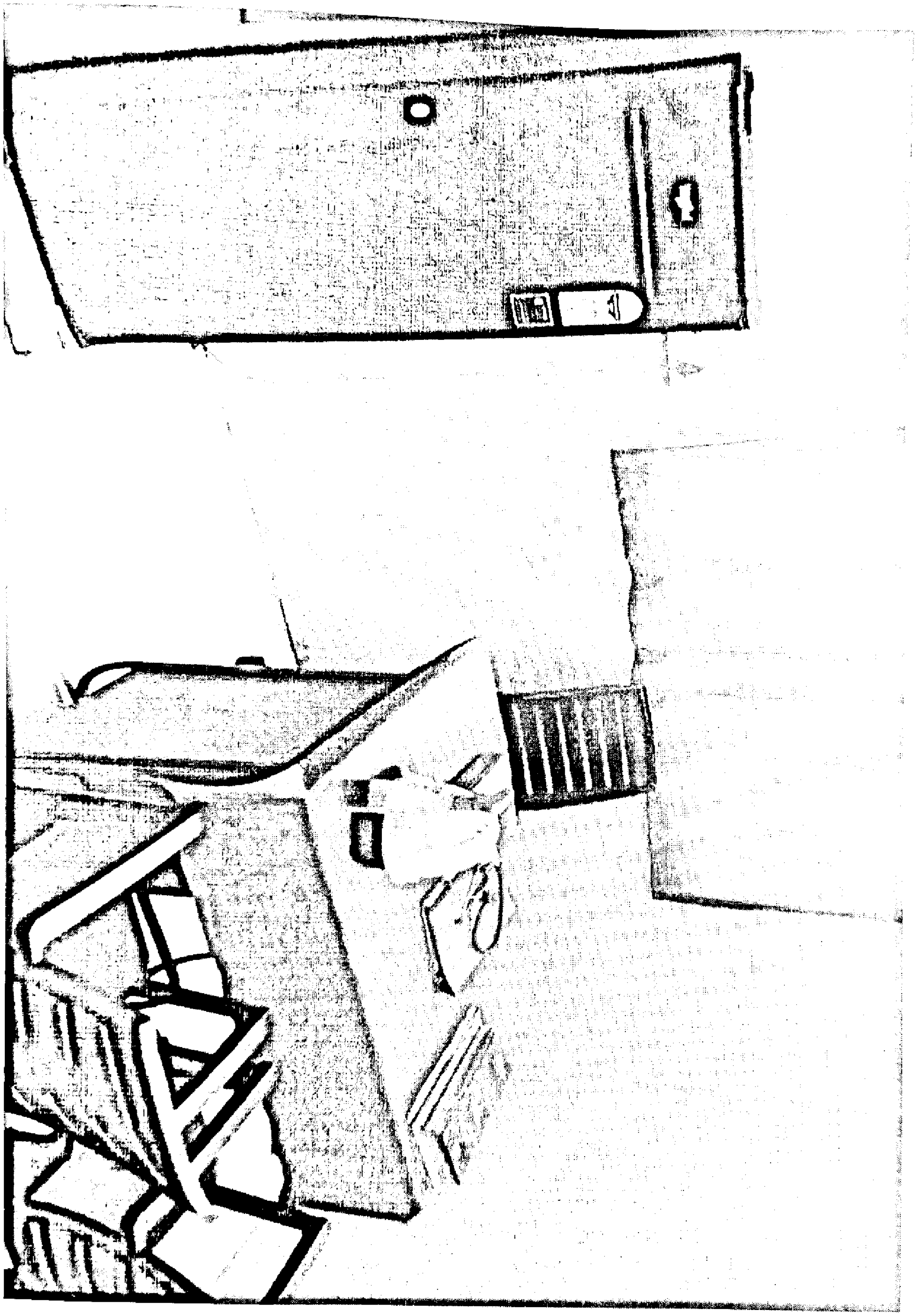

संलग्न - 03

कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,

कक्ष क्रमांक 22, पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

EMail ID- ihsbalodabazar10@gmail.com

क्र./स.संचा./ब.बा./2026/66 बलौदाबाजार, दिनांक 27/01/2026

प्रति,

श्री तारक कुमार राय - कारखाना अधिभोगी/प्रबंधक
मेसर्स रियल इस्पात एण्ड एनर्जी प्रा0लि0,
ग्राम-बकुलाही, धौराभाठा, तहसील-भाटापारा,
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

विषय :- **आपके कारखानें में दिनांक 22.01.2026 को घटित प्राणांतक एवं गंभीर दुर्घटना के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।**

=0=

उपरोक्त विषयांतर्गत, यह कि आपके कारखाना मेसर्स रियल इस्पात एण्ड एनर्जी प्रा0लि0, ग्राम-बकुलाही, धौराभाठा, तहसील-भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा(छ0ग0) के कारखाना परिसर के अंतर्गत स्थापित किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल में नियोजित श्रमिकों की प्राणांतक एवं गंभीर दुर्घटना की प्रारंभिक जांच अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं श्री आशुतोष पाण्डेय, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संचालनालय, नया रायपुर, श्री मनीष कुंजाम, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जिला-दुर्ग, व श्री दिव्यांश सिन्हा, सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संचालनालय, नया रायपुर के साथ संयुक्त रुप से दिनांक 22.01.2026 को ही उक्त कारखाने में पहुंच कर कारखाना अधिनियम, 1948 व छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के तहत की गई है। दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं दुर्घटनास्थल की फोटो ग्राफी व वीडियोग्राफी की गई। निरीक्षण के दौरान कारखाने में श्री एस.के. यादव (वी.पी. एच.आर.) एवं श्री गोपी निषाद (सुरक्षा अधिकारी) उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कारखाना परिसर के अंतर्गत स्थापित किल्न क्रमांक-01 में भू-तल से लगभग 30 फीट ऊंचाई पर स्थित डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल में चेंबर के भीतर जमे हुये गर्म ऐश (तापमान लगभग 850 से 900 डिग्री सेल्सियस) को वहां पर कार्यरत 11 श्रमिकों द्वारा चलित प्रक्रिया के दौरान ही पोकिंग कर नीचे गिराये जाने का कार्य किया जा रहा था। उस दौरान दिनांक 22.01.2026 को समय प्रातः लगभग 09.40 बजे अचानक गर्म ऐश की अत्यधिक मात्रा वेटस्क्रैपर में गिरने के परिणाम स्वरूप गर्म ऐश के बौछार के संपर्क में आने से वहां कार्यरत सभी 11 श्रमिक के ऊपर गिर पड़ी। जिससे उक्त संभी श्रमिक इस गर्म ऐश के चपेट में आ गए। जिसके परिणामस्वरुप दुर्घटनाथल पर ही कुल 06 श्रमिक श्री श्रवण कुमार, उम्र 22 वर्ष (हेल्पर), श्री राजदेव कुमार, उम्र 22 वर्ष (हेल्पर), श्री जितेन्द्र भुईया, उम्र 37 वर्ष (हेल्पर), श्री बदरी भुईया, उम्र 52 वर्ष (हेल्पर), श्री विनय भुईया, उम्र 40 वर्ष (हेल्पर), श्री सुन्दर भुईया, उम्र 50 वर्ष (हेल्पर) की प्राणांतक दुर्घटना घटित हुई तथा कुल 05 श्रमिक श्री कल्पू भुईया, उम्र 44 वर्ष (हेल्पर), श्री रामू भुईया, उम्र 34 वर्ष (हेल्पर), श्री शबीर अंसारी, उम्र 34 वर्ष (हेल्पर), श्री मुमताज अंसरी, उम्र 26 वर्ष (हेल्पर) एवं श्री शराफत अंसारी, उम्र 32 वर्ष (हेल्पर) गंभीर रुप से घायल हो गये जिनमें 03 श्रमिक श्री मुमताज अंसारी, श्री शराफ अंसारी एवं श्री शबीर अंसारी को उपचार हेतु बी.टी.आर.सी. मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिलासुपर एवं श्री कल्पू भुईया व श्री रामू भुईया को ब्लू विनस प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक

Received

Scanned with CamScanner

सर्जरी क्लिनिक रायपुर में ईलाज हेतु भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शी श्रमिक श्री गोपी निषाद (सुरक्षा अधिकारी) के बयान दिनांक 23.01.2026 को कार्यालय में दर्ज किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कारखाना मेसर्स रियल इस्पात एण्ड एनर्जी प्रा0लि0, ग्राम-वकुलाही, धौराभाठा, तहसील-भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0) में अधिकतम 550 श्रमिकों का नियोजन एवं 1340 एच.पी. विद्युत शक्ति का उपयोग कर SPONGE IRON (DRI), POWER GENRATION (20 MW), & FERRO ALLOYS विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जाती है। जिसका कारखाना लायसेंस क्रमांक 90762/2024/GEN/CG-22/533/6859 है।

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त प्राणांतक एवं गंभीर दुर्घटना की जाँच पश्चात कारखाना प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर कारखाना अधिनियम, 1948 एवं छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 में निहित प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में उल्लंघन पाया गया है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7A(1) के प्रावधानानुसार प्रत्येक अधिष्ठाता, का यह कर्त्तव्य है कि जहां तक युक्ति-युक्त रूप से साध्य है, कारखाने के सभी कर्मकारों का कारखाने में उनके काम के समय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेगा, परंतु दिनांक 22.01.2026 को समय प्रातः लगभग 09.40 बजे कारखाना परिसर के अंतर्गत स्थापित किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल में स्थित प्लेटफॉर्म जो कि लगभग 30 फुट की ऊंचाई पर स्थित है वहां खड़े होकर 11 श्रमिकों द्वारा डस्ट सेटलिंग चेंबर के भीतर जमे हुये गर्म ऐश को पोकिंग कर नीचे गिराये जाने का कार्य किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि इस कार्य के दौरान किल्न क्रमांक-01 निरंतर रूप से संचालित था जिस दौरान डस्ट सेटलिंग चेंबर में लगातार 900 डिग्री सेल्सियस गर्म राख गिर रही थी। इसके साथ ही डस्ट सेटलिंग चेंबर के भीतर जमे हुये गर्म ऐश को वेटस्क्रैपर में गिराये जाने के दौरान द्वितीय तल में ही स्थित हाईड्रोलिक स्लाईड गेट को बंद नही किया गया था। इसके फलस्वरूप ही श्रमिकों के लगातार हैमरिंग करने के कारण डस्ट सेटलिंग चेंबर के भीतर जमी हुई ऐश अत्यधिक मात्रा में तेजी से वेटस्क्रैपर में अचानक गिर पड़ी तथा हाईड्रोलिक स्लाईड गेट से गर्म ऐश की बौछार निकलने लगी। इसके संपर्क में आने से 06 श्रमिको की मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं 05 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि लगातार संचालित प्रक्रिया के दौरान 11 श्रमिकों द्वारा पोकिंग की प्रक्रिया कराया जाना असुरक्षित था तथा साथ ही हाईड्रोलिक स्लाईड गेट को बंद किये वगैर केवल 14 दिन पुर्व ही कार्य में नियोजित श्रमिकों को पोकिंग के कार्य में नियोजित किया जाना गंभीर दुर्घटनाजन्य कार्य था। जिसके फलस्वरूप यह दुर्घटना घटित हुई। अतः कारखाना अधिभोगी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से नही किया गया। जो कि, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7A(1) का उल्लंघन है।
2. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7A(2)(a) के प्रावधानानुसार कारखाने के अधिभोगी का यह दायित्व है कि, कारखाने में सयंत्र और कार्यप्रणलियों की व्यवस्था और अनुरक्षण इस प्रकार किया जावेगा जो श्रमिको के लिये सुरक्षित और उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो। परंतु दिनांक 22.01.2026 को समय प्रातः लगभग 09.40 बजे कारखाना परिसर के अंतर्गत स्थापित किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर के भीतर जमे हुये गर्म ऐश को हथौड़े से मारकर गिराने का कार्य किया जाना था। जिस दौरान जब श्रमिक चैंबर के बाहर खड़े होकर हैमरिंग करे और लगभग 900 डिग्री सेल्सियस गर्म राख जब वैटस्क्रैपर में गिरे उस दौरान किसी भी स्थिति में कोई भी श्रमिक गर्म राख की चपेट में न आए इसको ध्यान में रखते हुये कार्यप्रणाली नही बनाई गई थी। इसके फलस्वरूप ही जब लगभग 11 श्रमिक डस्ट सेटलिंग चैंबर के द्वितीय तल में स्थित प्लेटफॉर्म में खड़े होकर चैंबर की बाहर की सतह में हैमरिंग का कार्य कर रहे थे तब

Scanned with CamScanner

एकाएक लगभग 03 टन राख जो कि लगभग 900 डिग्री सेल्सियस गर्म थी वह वैटस्क्रैपर में गिरी और क्योंकि द्वितीय तल में ही स्थित डस्ट सेटलिंग चैंबर का हाईड्रोलिक स्लाईड गेट खुला हुआ था तो वहां से बहुत अधिक मात्रा में गर्म राख तेजी से बाहर फैली और उसकी चपेट में आकर 06 श्रमिको की मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं 05 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गये। इस प्रकार, अधिभोगी द्वारा श्रमिकों हेतु मानक सुरक्षित कार्यप्रणाली नहीं बनाया गया है। यदि कार्यस्थल को सुरक्षित कर व सुरक्षित कार्यप्रणालियों का उपयोग किया जाता तो उक्त दुर्घटना से बचा जा सकता था। जबकि ऐसा न कर कारखाना अधिभोगी द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7A2(ii) का उल्लंघन किया गया है।

3. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7A(2)(c) के अनुसार कारखाने के अधिभोगी का दायित्व है कि कारखाने में ऐसी जानकारी, अनुदेश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण की व्यवस्था इस प्रकार की जावेगी, जो सभी कर्मकारों के कार्य के समय स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है परंतु दिनांक 22.01.2026 को जब लगभग 11 श्रमिकों को किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सैटलिंग चैंबर में हैमरिंग के कार्य के लिए नियुक्त किया गया तब उन्हें ना तो कोई प्रशिक्षण दिया गया था और ना ही उन्हें इस कार्य में सन्निहित खतरों की जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही केवल 14 दिन पुर्व नियुक्त श्रमिकों को डस्ट सैटलिंग चैंबर जैसे खतरनाक कार्यस्थल में नियुक्त करने के समय पर्यवेक्षण की व्यवस्था नही की गई थी। इसके फलस्वरूप ही जब कारखाने में केवल 14 दिन पुर्व नियोजित श्रमिक हैमरिंग के लिए डस्ट सैटलिंग चैंबर स्ट्रक्चर के द्वितीय तल में गये और हैमरिंग करने लगे तो वह अपने कार्य के खतरों से अंजान थे, जिस वजह से द्वितीय तल में ही स्थित डस्ट सेटलिंग चैंबर का हाईड्रोलिक स्लाईड गेट को बंद किये गये बगैर ही वह निरंतर हैमरिंग करने लगे इसके फलस्वरूप ही लगातार हैमरिंग के कारण लगभग 03 टन गर्म राख एकाएक नीचे वैटस्क्रैपर में गिरी और क्योंकि द्वितीय तल में ही स्थित डस्ट सेटलिंग चैंबर का हाईड्रोलिक स्लाईड गेट खुला हुआ था तो वहां से बहुत अधिक मात्रा में गर्म राख तेजी से बाहर फैली और उसकी चपेट में आकर 06 श्रमिको की मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं 05 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गये। इसप्रकार, कारखाना अधिभोगी द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7A2(c) का उल्लंघन किया गया है।

4. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 41 सपठित छ.ग. कारखाना नियम 1962 के नियम 73-ई के प्रावधानानुसार कारखाने में कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है जिससे श्रमिको को शारीरिक चोट लगने का खतरा हो परंतु दिनांक 22.01.2026 को सुबह लगभग 09.40 बजे जब 11 नव नियुक्त श्रमिकों को किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सैटलिंग चैंबर के भीतर जमे हुये गर्म ऐश को पोकिंग कर नीचे गिराने के कार्य में नियुक्त किया गया तब उन श्रमिकों को कार्यक्षेत्र में स्थित खतरों की जानकारी दिये बगैर ही निरंतर संचालित किल्न के पास पोकिंग के कार्य में बिना किसी पुख्ता सुरक्षित कार्यपद्धति के ही कार्य में नियुक्त किया गया इसके फलस्वरूप ही यह दुर्घटना घटित हुई। उल्लेखनीय है कि जब भी नवनियुक्त श्रमिकों को किसी कार्यस्थल में नियुक्त किया जाता है तब उन्हें उनके कार्य में सन्निहित खतरों और कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानी की संपूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण देने के बाद ही उचित पर्यवेक्षण में कार्य कराया जाना चाहिए। जो कि अत्यंत सुरक्षित कार्य विधि है। इसप्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्तानुसार कार्यपद्धति सुनिश्चित नही कर कारखाना अधिभोगी/प्रबंधक द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41 सपठित छ.ग. कारखाना नियम, 1962 के नियम 73-ई के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

5. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 32(1) के उप नियम (1) के प्रावधानानुसार सब फर्श, सुदृढ़ता से सन्निर्मित और उचित रूप से अनुरक्षित होंगे निर्बाध रखे जाएंगे, परंतु दिनांक 22.01.2026 को जब कारखाने में केवल 14 दिन पुर्व नियुक्त श्रमिकों को निरंतर संचालित किल्न

Scanned with CamScanner

क्रमांक-01 के डस्ट सैटलिंग चैंबर में कार्य हेतु नियुक्त किया गया तब किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने की स्थिति में उनके द्वारा बचकर निकलने के लिए जिन सीढ़ियों का उपयोग किया जाना था वे डस्ट सैटलिंग चैंबर के हाईड्रोलिक स्लाईड गेट के नजदीक ही निर्मित है। इससे स्पष्ट है कि हाईड्रोलिक स्लाईड गेट से निकलने वाली गर्म ऐश से बचने के लिए जब श्रमिक सीढ़ियों का उपयोग करने लगे तब भी वह गर्म राख से नही बच पाये और यह गंभीर प्राणांतक दुर्घटना घटित हुई। इस प्रकार, कारखाना अधिभोगी/प्रबंधक द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 32(1) का उल्लंघन किया गया है।

6. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 41(सी) एवं छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के नियम 131(2) के अनुसार खतरनाक प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों का अर्हचिकित्सा व्यवसायी द्वारा नियमानुसार चिकित्सकीय परीक्षण किया जावेगा एवं नियोजन के पूर्व *(Pre Employment)* और नियतकालिक किये गये चिकित्सकीय परीक्षण का विवरण प्रारूप -21 *(Health Register)* में अनिवार्य रूप से अभिलिखित किया जाना है। परंतु दिनांक 22.01.2026 को समय *प्रातः लगभग* 09.40 बजे कारखाना परिसर के अंतर्गत स्थापित किल्न *क्रमांक-01 में भू-तल से लगभग 30* फीट ऊंचाई पर स्थित डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय *तल में डस्ट सेटलिंग चेंबर के भीतर जमे* हुये गर्म ऐश को पोकिंग कर नीचे गिराये जाने के कार्य हेतु *11 श्रमिकों (श्री श्रवण कुमार, श्री राजदेव कुमार, श्री जितेंन्द्र भुईया, श्री बदरी भुईया, श्री विनय भुईया, श्री सुन्दर भुईया, श्री कल्पू भुईया, श्री रामू भुईया, श्री शबीर अंसारी, श्री मुमताज अंसारी एवं श्री शराफ अंसारी)* को नियुक्त किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण मांगे जाने पर आपके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण प्रस्तुत नही गया। जो कि, कारखाना अधिनियम *1948 की धारा* 41(सी) एवं छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के नियम 131(2) का उल्लंघन है।

उपरोक्त उल्लंघनों के संबध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 01 सप्ताह की अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं बताएं की उपरोक्त उल्लंघनों के लिए आपके विरूद्ध क्यों न अभियोजन की कार्यवाही की जावे?

27.01.26

(दिशा शुक्ला)
कारखाना निरीक्षक, छ0ग0 शासन
एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

Received.
Rajesh Kr Singh
28/01/2026

Scanned with CamScanner

REAL
ISPAT AND ENERGY PVT. LTD.

आरआईईपीएल/मासंवप्रशा/औ.स्वा.व सु./ब.बा/2025-26 दिनांक : 03/02/2026

प्रति,

कारखाना निरीक्षक,
एवं सहायक संचालक,
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
कक्ष कमांक 22, पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय,
कलेक्ट्रेट परिसर, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

विषयः– हमारे कारखाने में दिनांक 22/01/2026 को घटित प्राणांतक एवं गंभीर दुर्घटना के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत्।

संदर्भः– आपके कार्यालय से प्राप्त कारण बताओ सूचना पत्र क./स.संचा./ब.बा./2026/66 बलौदाबाजार, दिनांक 27/01/2026 ।

महोदया,

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयॉतर्गत् तथा दिनॉक 22/01/2026 को हमारे कारखाने रियल इस्पात एंड एनर्जी प्रा.लिमिटेड ग्राम– बकुलाही, धौराभाठा तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में हुए प्राणांतक एवं गंभीर दुर्घटना के पश्चात आपके द्वारा किये गये निरीक्षण उपरांत प्राप्त कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं बाबत् हमारा स्पष्टीकरण निम्नानुसार है–

1. हमारे कारखाने में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7A(1) के प्रावधानानुसार प्रत्येक अधिष्ठाता, का यह कर्तव्य है कि जहाँ तक युक्ति–युक्त रूप से साध्य है, कारखाने के सभी कार्मकारों का कारखाने में उनके कार्य के समय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया गया है। हमारे द्वारा दिनॉक 22/01/2026 को प्रातः 08:10 बजे किलन–1 के डस्ट सैटलिंग चैम्बर के स्लाईड गेट को बंद करने के लिए परमिट नं. 02015 लिया गया था । तथा स्लाईड गेट बंद होने का संकेत कन्ट्रोल रूम में आया था। तत्पश्चात् हमारे ऑपरेटरो द्वारा भी जाकर सुनिश्चित किया गया था। जिसके उपरान्त किलन–1 के डस्ट सैंटलिंग चैम्बर मे कार्य चालु हूआ। परन्तु दिनॉक 22/01/2026 को समय लगभग प्रातः 09:40 बजे हमारे कारखाने परिसर में स्थित किलन–1 के डस्ट सैटलिंग चैम्बर के भीतर जमे हुए गर्म एश के अचानक वैट स्कैपर मे गिरने से दुर्घटना घटित हुई। उपरोंक्तानुसार भविष्य मे हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कारखाने में सभी कर्मकारों का कार्यरत समस्त श्रमिकों के उचित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। हमारे कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। **Annexure-1 (Permit copy), Annexure-1(a) (LOTO Card copy) & Annexure-1(b) (QEHS policy)**

2. हमारे कारखाने में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7A(2)(a) के प्रावधानानुसार हमारे द्वारा दिनॉक 22/01/2026 को प्रातः 08:10 बजे किलन–1 के डस्ट सैटलिंग चैम्बर के स्लाईड गेट को बंद करने के लिए परमिट नं. 02015 लिया गया था । तथा स्लाईड गेट बंद होने का संकेत कन्ट्रोल रूम में आया था। तत्पश्चात् हमारे ऑपरेटरो द्वारा भी जाकर सुनिश्चित किया गया था। दुर्घटना दिवस को डस्ट सेंटलिंग चेम्बर में समस्त कार्य मानक संचालक प्रकिया (SOP) के अनुरूप ही कराया जा रहा था कार्य में संलग्न समस्त श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPEs) उपलब्ध कराये गये थे एवं उनके उपयोग हेतु नियमित रूप से दिशा–निर्देश दिया जा रहा था। दुर्घटना के समय केवल कुछ श्रमिक

Scanned with CamScanner

ही डस्ट सेटलिंग चेम्बर के समीप कार्य कर रहे थे। उक्त दुर्घटना अचानक एवं अप्रत्याशित रूप से (DSC) क्षेत्र से अत्याधिक मात्रा में गर्म राख के गिरने के कारण घटित हुई। यह स्थिति उक्त कार्यप्रणाली के दौरान आकस्मिक रूप से उत्पन्न हुई जिस पर तत्काल नियंत्रण संभव नहीं हो सका। अत्यधिक मात्रा में गर्म राख के गिरकर फैलने की वजह से वहाँ कार्य कर रहे 11 श्रमिक संपर्क में आकर झुलस गये और दुर्भाग्यवश उनमें से 6 श्रमिकों की तत्काल दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और शेष 5 श्रमिकों को उपचार हेतु हॉस्पिटल बिलासपुर (छ.ग.) भेजा गया। यह घटना किसी भी प्रकार की जानबूझकर की गई लापरवाही या असुरक्षित कार्यप्रणाली के कारण घटित नही हुई है । कारखाना प्रबंधक द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा भविष्य में इस प्रकार की आकस्मिक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता एवं आवश्यक सुधारात्मक उपाय भी कर लिये गये हैं। **Annexure-2 (SOP's of kiln) & Annexure-2(a) (PPE's Details)**

3. हमारे कारखाने में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7A(2)(c) के प्रावधानानुसार कारखाने में कार्यरत् सभी श्रमिकों को नियुक्ति के समय ही तथा किसी भी कार्य में लगाये जाने से पूर्व सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तथा नियमित अंतराल पर उनकी कार्य की प्रकृति के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण एवं दिशा–निर्देश भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान श्रमिकों को कार्यस्थल से संबंधित संभावित खतरों (Workplace Hazard) सुरक्षित कार्य विधियों, मानक संचालन प्रकिया (SOP) एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के सही उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है।

   इसके अतिरिक्त कार्य के दौरान श्रमिकों के द्वारा किये जा रहे कार्यों की सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण भी सुपरवाईजर के द्वारा किया जाता है। हमारे द्वारा दिनॉक 22/01/2026 को प्रातः 08:10 बजे किलन–1 के डस्ट सैटलिंग चैम्बर के स्लाईड गेट को बंद करने के लिए परमिट नं. 02015 लिया गया था । तथा स्लाईड गेट बंद होने का संकेत कन्ट्रोल रूम में आया था। तत्पश्चात् हमारे ऑपरेटरो द्वारा भी जाकर सुनिश्चित किया गया था। जिसके उपरान्त किलन–1 के डस्ट सैटलिंग चैम्बर मे कार्य चालु हूआ। दुर्भाग्यवश दुर्घटना दिवस को अचानक ही अत्यधिक रूप से झुलस गये और प्राणांतक एवं गंभीर घटना घटित हुई । हमारे द्वारा भविष्य में उक्त घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय भी कर लिये गये हैं। **Annexure-3 (Induction Safety Training sheet) & Annexure-3 (a) (Induction Safety Training Photos)**

4. हमारे कारखाने में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 41 सपठित छ.ग. कारखाना नियम 1962 के नियम 73–ई के प्रावधानानुसार कारखाने में दुर्घटना दिवस को उक्त कार्य में संलग्न सभी 11 श्रमिकों को डस्ट सैटलिंग चैंबर के समीप कार्य करने से संबंधित कार्यस्थल खतरों (Workplace Hazard) के बारे में पूर्व से ही प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। यह प्रशिक्षण सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदान किया गया था। जिसमें संभावित जोखिमों, सुरक्षित कार्यविधियों, आपातकालिन परिस्थितियों एवं बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई थी। साथ ही सभी श्रमिकों कों मानक परिचालन प्रकिया के अनुरूप ही कार्य कराया जा रहा था तथा कार्य के दौरान सभी 11 श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPEs) उपलब्ध कराये गए थे एवं उनके उपयोग हेतु निर्देशित किया गया था। कार्य पूर्णतः निर्धारित (SOP) एवं सुरक्षित कार्य प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा था । हमारे द्वारा दिनॉक 22/01/2026 को प्रातः 08:10 बजे किलन–1 के डस्ट सैटलिंग चैम्बर के स्लाईड गेट को बंद करने के लिए परमिट नं. 02015 लिया गया था । तथा स्लाईड गेट बंद होने का संकेत कन्ट्रोल रूम में आया था। तत्पश्चात् हमारे ऑपरेटरो द्वारा भी जाकर सुनिश्चित किया गया था। जिसके उपरान्त किलन–1

Scanned with CamScanner

REAL
ISPAT AND ENERGY PVT. LTD.

के डस्ट सैटलिंग चैम्बर मे कार्य चालु हूआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अचानक एवं अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक मात्रा में गर्म राख के गिरने के कारण घटित हुई जिस पर तत्काल नियंत्रण संभव नहीं हो सका। **Annexure-4 (Job Specific Safety Training Sheet) & Annexure-4 (a) (Job Specific Safety Training Photo)**

5. **हमारे कारखाने में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 32(1) के प्रावधानानुसार** कारखाने के डस्ट सेटलिंग चैंबर के स्लाईड गेट के समीप स्थापित सीढ़ियॉ कारखाना नियमों एंव सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित की गई थी एवं आयात स्थिति से सुरक्षित निकास हेतु पूर्णतः उपयुक्त एवं सुरक्षित थी। घटित दुर्घटना के समय उक्त सीढ़िया उपयोग हेतु उपलब्ध थी, किन्तु अचानक एवं अत्याधिक मात्रा में गर्म राख के गिरने एवं उसके संपूर्ण (DSC) क्षेत्र में फैल जाने के कारण स्थिति असामान्य एवं अप्रत्याशित हो गई । हमारे द्वारा दिनॉक 22/01/2026 को प्रातः 08:10 बजे किलन–1 के डस्ट सैटलिंग चैम्बर के स्लाईड गेट को बंद करने के लिए परमिट नं. 02015 लिया गया था । तथा स्लाईड गेट बंद होने का संकेत कन्ट्रोल रूम में आया था। तत्पश्चात् हमारे ऑपरेटरो द्वारा भी जाकर सुनिश्चित किया गया था। जिसके उपरान्त किलन–1 के डस्ट सैटलिंग चैम्बर मे कार्य चालु हूआ। परिणामस्वरूप वहॉ पर कार्यरत् श्रमिक गर्म राख के सम्पर्क में आये और उक्त घटना घटित हुई। हमारे द्वारा भविष्य में इस प्रकार की किसी भी आपात स्थिति में श्रमिकों के और अधिक सरल त्वरित एवं सुरक्षित निकास को सुनिश्चित करने हेतु स्थापित सीढ़ियों की स्थिति डिजाईन एवं पहुँच की पुनः समीक्षा कर लिया गया है और आवश्याकतानुसार सभी उचित सुधारात्मक एवं निवारक उपाय शीघ्रता से किए जायेगा।

6. **हमारे कारखाने में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 41(सी) एवं छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के नियम 131(2) के प्रावधानानुसार** कारखाने में समस्त श्रमिकों का नियोजन से पूर्व (Pre-Employment) चिकित्सीय परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाता है। तथा इससे संबंधित समस्त अभिलेख स्वास्थ्य पंजी (Health Register) में संधारित किए जाते है। (जितेन्द्र भुईया, श्री बदरी भुईया, श्री विनय भुईया, श्री सुन्दर भुईया, श्री कल्पू भुईया, श्री रामु भुईया, श्री शबीर अंसारी, श्री मुमताज अंसारी एवं श्री शराफ अंसारी) का भी नियोजन से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया था। उक्त श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण फार्म –21 में आपके सादर अवलोकन हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है। **Annexure-5 (Form-21)**

हमारे उक्त स्पष्टीकरण एवं सुरक्षा से संबंधित कराये जा रहे सुधारात्मक कार्यो को ध्यान रखते हुए महोदय से निवेदन है कि हमारे विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही नहीं करने की असीम कृपा करेंगें। हमारा संस्थान आपको विश्वास दिलाता है कि हमारे द्वारा कारखाने के सभी कार्यस्थलो पर सुरक्षित कार्यप्रणालियों का अनुपालन कर लिया गया है तथा सभी मानक संचालन प्रकियाओं (SOPs) को ध्यान में रखकर कार्य कराया जायेगा एवं कार्य स्थल पर कार्यरत समस्त श्रमिकों के उचित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जायेगा। हमारे कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वास्ते, रियल इस्पात एवं एनर्जी प्रॉइवेट लिमि.

कारखाना प्रबंधक

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

Scanned with CamScanner

संलग्नक - 04

कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

कक्ष क्रमांक 22, पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
Ph. 07727-222-002
EMail ID- dishbalodabazar10@gmail.com

: : प्रतिबंधात्मक आदेश की समाप्ति बाबत : :

यह कि दिनांक 22.01.2026 को कारखाना मेसर्स रियल इस्पात एण्ड एनर्जी प्रा.लि., ग्राम-धोरभाठा, बकुलाही, तहसील-भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के कारखाना परिसर के अंतर्गत स्थापित किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबरके द्वितीय तल में नियोजित श्रमिकों की प्राणातक एवं गंभीर दुर्घटना की प्रारंभिक जांच अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 22.01.2026 को ही उक्त कारखाने में पहुंच कर कारखाना अधिनियम, 1948 व छ. ग. कारखाना नियमावली 1962 के तहतकी गई है। दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं दुर्घटना स्थल की फोटो ग्राफी व वीडियोग्राफी की गई। निरीक्षण के दौरान कारखाने में श्री एस. के. यादव (पी.पी. एच.आर.) एवं श्री गोपी निषाद (सुरक्षा अधिकारी) उपस्थित थे।

दुर्घटना दिनांक को समय लगभग प्रातः 09.40 बजे कारखाना परिसर के अंतर्गत स्थापित किल्न क्रमांक-01 में भू-तल से लगभग 30 फीट ऊंचाई पर स्थित डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल में डस्ट सेटलिंग चेंबर के भीतर जमे हुये गर्म ऐश को वहां पर कार्यरत 11 श्रमिकों द्वारा पोकिंग कर नीचे गिराये जाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक गर्म ऐश की अत्यधिक मात्रा वेटस्क्रैपर में गिरने के परिणाम स्वरूप गर्म ऐश के बौछार के संपर्क में आने से 07 श्रमिको की मृत्यु हो गई एवं 04 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गये।

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने के उपरांत कारखाना अधिभोगी एवं प्रबंधक द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन कारखाने के किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर में कार्य प्रारंभ करने के दौरान सुरक्षित कार्य पद्धति (SOP) का पालन, स्लाईड गेट को बंद करने हेतु कार्यअनुमति (Work Permit), डस्ट सेटलिंग चेंबर में कार्यरत श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कार्यक्षेत्रों सहित कारखाने के अन्य सभी क्षेत्रों में भी नियमित रखरखाव, अनुरक्षण एवं सतत मानिटरिंग करने, नव नियुक्ति के समय तथा किसी भी कार्य में नियोजित किये जाते से पुर्व सुरक्षा प्रशिक्षण दिये जाने साथ ही समस्त सुरक्षित कार्य पद्धति (SOP) को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थान के प्रोफेसरों द्वारा प्रमाणित दस्तावेज एवं सुरक्षा संपरीक्षा ऑडिट रिपोर्ट (Safety Audit Report) पत्र क्रमांक आरआईईपीएल/मासंवप्रशा./औ.स्वा.सु./ब.बा./ दिनांक 10.02.2026 एवं पत्र दिनांक 14.02.2026 के माध्यम आवश्यक दस्तावेज फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है।

यह कि उपरोक्त सभी उल्लेखित प्रावधानों का कारखाना प्रबंधन द्वारा कार्य स्थल पर पालन किये जाने का भौतिक सत्यापन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 16.02.2026 को निरीक्षण कर किया गया है। कारखाना प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो इस बाबत् प्रस्तुत पत्र के आधार पर कारखाना

अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के अंतर्गत जारी प्रतिषेधात्मक आदेश को आंशिक रूप से समाप्त करते हुए कारखाने में स्थापित किल्न क्रमांक 01 के विनिर्माण प्रक्रिया के संचालन एवं मेंटेनेंस कार्य हेतु अनुमति दी जाती है परन्तु साथ ही उक्त सेटलिंग चेम्बर तथा वेट स्क्रेपर के स्ट्रक्चर तथा प्रभाव क्षेत्र में किसी भी श्रमिक को नियोजित किये जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आप संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित न हो।

(दिशा शुक्ला)
कारखाना निरीक्षक
एवं
सहायक संचालक
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

पृ.क. / प्रा.दु. / ब.बा. / 2026 / 139 - 145, बलौदाबाजार, दिनाँक 16/02/26

प्रतिलिपि :—

1. श्री तारक कुमार राय (अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक), मेसर्स रियल इस्पात एण्ड एनर्जी प्रा0लि0, ग्राम—धौराभाठा, तहसील—भाटापारा,जिलाबलौदाबाजार—भाटापारा (छ.ग.) को पालनार्थ।
2. मुख्य कारखाना निरीक्षक, सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवंसुरक्षा, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर परिसर, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. थाना प्रभारी, थाना—भाटापारा (ग्रामीण), जिला बलौदाबाजार—भाटापारा (छ.ग.)की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आदेश पत्रिका में संकलनार्थ।

(दिशा शुक्ला)
कारखाना निरीक्षक
एवं
सहायक संचालक
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

092

REAL
ISPAT AND ENERGY PVT. LTD.
Bhatapara - CG

आरआईईपीएल/मासंवप्रशा./औ.स्वा.सु./ब.बा./

दिनांक 10/02/2026

प्रति,
कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक,
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
कक्ष क्रमांक-22, पुराना कलेक्ट्रेट भवन,
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

विषय : प्रतिबंधात्मक आदेश के संबंध में बिंदुवार अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं प्रतिबंधात्मक आदेश हटाने बाबत।

संदर्भ : आपके कार्यालय द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 22/01/2026।

महोदया,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के संबंध में सविनय निवेदन है कि आपके द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में हमारा बिंदुवार पालन प्रतिवेदन का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है–

बिंदु क्रमांक-1 :

यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 22/01/2026 को प्रातः 08:10 बजे, किल्न-1 के डस्ट सेटलिंग चैंबर के स्लाइड गेट को बंद करने हेतु Work Permit No. -02015 लिया गया था। स्लाइड गेट बंद होने का संकेत कंट्रोल रूम में प्राप्त हुआ, तत्पश्चात हमारे ऑपरेटरों द्वारा स्थल पर जाकर सुनिश्चित भी किया गया। इसके उपरांत किल्न-1 के डस्ट सेटलिंग चैंबर में कार्य प्रारंभ किया गया। तथापि दिनांक 22/01/2026 को लगभग 09:40 बजे, चैंबर के भीतर जमा हुए गर्म राख (हॉट ऐश) के अचानक वेट स्क्रेपर में गिरने से उपरोक्त दुर्घटना घटित हुई। यह भी अवगत कराना है कि कारखाने में मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) उपलब्ध है तथा सभी कार्यरत श्रमिकों को SOPs के अनुसार कार्य करने हेतु प्रशिक्षित/शिक्षित किया गया है। हम यह विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कारखाने में कार्यरत समस्त श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि श्रमिकों की सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जारी किए गए वर्क परमिट एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसरों से प्रमाणित SOP की प्रतिलिपियाँ आपके सादर अवलोकन हेतु संलग्न हैं। (संलग्नक-1 & 1(a))

Received
10/02/26
कार्यालय सहायक संचालक
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
जि. बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

REAL
ISPAT AND ENERGY PVT. LTD.
Bhatapara - CG

बिंदु क्रमांक-2 :

दुर्घटना दिवस को Kiln – I के डस्ट सेटलिंग चैंबर में समस्त कार्य मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप ही कराया जा रहा था। कार्य में संलग्न सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPEs) उपलब्ध कराए गए थे तथा उनके उपयोग हेतु नियमित निर्देश दिए जा रहे थे। दुर्घटना के समय केवल कुछ श्रमिक ही डस्ट सेटलिंग चैंबर के समीप कार्यरत थे। यह दुर्घटना डीएससी क्षेत्र से अत्यधिक मात्रा में गर्म राख के वेट स्क्रेपर में अचानक गिरने के कारण अप्रत्याशित रूप से घटित हुई, जिस पर तत्काल नियंत्रण संभव नहीं हो सका।

हमारे द्वारा इस प्रकार की आकस्मिक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता एवं आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।

बिंदु क्रमांक-3 :

यह स्पष्ट किया जाता है कि आफ्टर बर्न चैंबर एवं डस्ट सेटलिंग चैंबर का रखरखाव, अनुरक्षण तथा मॉनिटरिंग नियमित अंतराल पर की जा रही थी। परंतु दुर्घटना दिवस को अत्यधिक मात्रा में जमे हुए डस्ट के अचानक वेट स्क्रेपर में गिरने के कारण उक्त दुर्घटना घटित हुई।

हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उपरोक्त कार्यक्षेत्रों सहित कारखाने के अन्य सभी क्षेत्रों में भी नियमित रखरखाव, अनुरक्षण एवं सतत मॉनिटरिंग निरंतर सुनिश्चित किया गया हैं।

बिंदु क्रमांक-4 :

दुर्घटना दिवस को Kiln – I के डस्ट सेटलिंग चैंबर के स्लाइड गेट को बंद करने हेतु Work Permit No.-02015 लिया गया था तथा सभी कार्य SOP के अंतर्गत ही कराए जा रहे थे। परंतु, उक्त घटना आकस्मिक एवं अप्रत्याशित रूप से घटित हो गई। **जारी किए गए वर्क परमिट की प्रतिलिपि आपके सादर अवलोकन हेतु संलग्न हैं। (संलग्नक - 2)**

बिंदु क्रमांक-5 :

हमारे कारखाने में कार्यरत सभी श्रमिकों को नियुक्ति के समय ही तथा किसी भी कार्य में लगाए जाने से पूर्व सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तथा नियमित अंतराल पर उनकी कार्य की

Wholly Owned Subsidiary company of
REAL ISPAT AND POWER LTD.
Works : Vill. Bakulahi, Teh. : Bhatapara, Dist. Balodabazar (C.G) 493118
Corp. Off. : Vrindavan, Near IDBI Bank, Civil Lines, RAIPUR - 492 001 (C.G.) Tel.: +91 771 4224000
E-mail : purchase@realispat.in, Web : www.realispat.com | CIN : U27100CT2020PTC010603

प्रकृति के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देश भी दिए जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान श्रमिकों को कार्यस्थल से संबंधित संभावित खतरों (Workplace Hazard), सुरक्षित कार्य विधियों, मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के सही उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। दुर्घटना दिवस को उक्त कार्य में संलग्न सभी 11 श्रमिकों को Kiln – I के डस्ट सेटलिंग चेंबर के समीप कार्य से संबंधित कार्यस्थल खतरों (Workplace Hazards) के बारे में पूर्व से ही सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इस प्रशिक्षण में संभावित जोखिमों, सुरक्षित कार्य विधियों, आपातकालीन परिस्थितियों एवं बचाव उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई थी।

कार्य पूर्णतः निर्धारित SOP एवं सुरक्षित कार्य प्रणाली के अंतर्गत, उचित सुपरविजन में कराया जा रहा था। कार्य में नियोजित श्रमिकों को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देश प्रदान किए गए थे। **प्रदान किए गए प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज आपके सादर अवलोकन हेतु इस पत्र के साथ संलग्न हैं। (संलग्नक-3)**

बिंदु क्रमांक-6 :

हमारे कारखाने में कार्यरत समस्त श्रमिकों को उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे हीट रेजिस्टेंट एप्रन, सुरक्षा जूते, हेलमेट, दस्ताने एवं सुरक्षा चश्मे उपलब्ध कराए गए हैं तथा उनके नियमित उपयोग हेतु निर्देशित किया जाता है।

दुर्घटना दिवस को भी उक्त कार्य में नियोजित समस्त श्रमिकों को आवश्यक PPEs उपलब्ध कराए गए थे एवं उनके उपयोग हेतु निर्देशित किया गया था। परंतु, अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक मात्रा में गर्म राख के गिरकर फैलने के कारण उक्त दुर्घटना घटित हुई। हम यह विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में सभी कार्यस्थलों पर PPEs के अनिवार्य उपयोग हेतु सतत निगरानी, नियमित प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देशों के माध्यम से पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। **उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपकरणों से संबंधित दस्तावेज आपके सादर अवलोकन हेतु इस पत्र के साथ संलग्न हैं। (संलग्नक-4)**

REAL
ISPAT AND ENERGY PVT. LTD.
Bhatapara - CG

इसके अतिरिक्त आपके निर्देशानुसार हमारे द्वारा सक्षम अधिकारी से कारखाने का विस्तृत सेफ्टी ऑडिट कराया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेखित सभी अवलोकनों का संबंधित कार्यस्थलों पर अनुपालन कर, अनुपालन प्रतिवेदन आवश्यक दस्तावेजों एवं फोटोग्राफ सहित आपके कार्यालय में जमा कराया जा चुका है। साथ ही, हमारे द्वारा समस्त SOPs को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसरों द्वारा प्रमाणित कराया गया है तथा उन्हीं SOPs के अनुसार कारखाने की सभी प्रक्रियाएँ संचालित की जा रही हैं एवं इन कार्यों में नियोजित समस्त श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण तथा दिशा-निर्देश नियमित अंतराल पर प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। (संलग्नक - 5 & 5(a))

आपके द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के संबंध में हमारा उपरोक्त पालन प्रतिवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित आपके सादर अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार हमारे द्वारा किए गए सुधारात्मक प्रयासों को संज्ञान में लेते हुए आपसे सविनय निवेदन है कि उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश को हटाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय,
वास्ते रियल इस्पात एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

REAL ISPAT AND ENERGY PVT. LTD. BHATAPARA (C.G.)

(कारखाना प्रबंधक)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Digitally Signed by: Sharmml Kapoor
Date: 09/07/2025
Location: Mumbai

संलग्नक — 05

TATA AIG INSURANCE
WITH YOU ALWAYS

Date: 09/07/2025

REAL ISPAT AND ENERGY PRIVATE LIMITED
TEH BHATAPARA, VILLAGE BAKULAHI AMP; DHOURABHATA,
BAKULAHI, BALODABAZAR BHATAPARA, CHHATTISGARH
BHATAPARA - 493118
RAIPUR
CHHATTISGARH
INDIA
22AAKCR4502P1Z7(GSTIN Number)

Policy No : 0304012263
Renewal : 01
Endorsement : 00

Dear Sir / Madam,

We thank you for choosing **Tata AIG General Insurance Company Ltd.** as your preferred Insurer. Your Policy No. Is 0304012263 01 00.

We are glad that you have chosen our product **PUBLIC LIABILITY ACT** and given us an opportunity to be your risk carrier for this Product.

'Casualty Line' caters to most of the Enterprises / Industries in India, whether Large, Medium or Small. As one of the India's most established Insurance companies, we understand these unique needs of coverage. At Tata AIG we care for you and would strive to offer convenience coupled with a range of products that cater continously to your ever increasing needs.

Enclosed please find your policy docket based on the information furnished by you in the Proposal.

We look forward to a long and mutually beneficial relationship and providing you wider range of benefits in the years to come.

Yours Sincerely,
For Tata AIG General Insurance Company Limited

TATA AIG INSURANCE
WITH YOU ALWAYS

PUBLIC LIABILITY ACT POLICY
POLICY SCHEDULE

Agent/Broker Name -SUPREMACY INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED
Agent/Broker License Code - 921:Agent/Broker :Contact No - 9425209333 (mobile or landline)

Attaching to and forming part of Policy No.	0304012263 01 00
Name of Insured Owner:	REAL ISPAT AND ENERGY PRIVATE LIMITED
Business:	STEEL PLANT
Address:	TEH BHATAPARA, VILLAGE BAKULAHI AMP; DHOURABHATA, BAKULAHI, BALODABAZAR BHATAPARA, CHHATTISGARH BHATAPARA - 493118 RAIPUR CHHATTISGARH INDIA 22AAKCR4502P1Z7(GSTIN Number) Place of supply -CHHATTISGARH State code -22
Territorial limits:	Anywhere in India

Policy Period: **From:** 28/06/2025 12:00 AM/ PM
To Midnight of: 27/06/2026 12:00 AM/ PM

Indemnity limit:Rs 50,000,000.00(AOA Limit) in respect of any one accident and not exceeding Rs 50,000,000.00(AOY Limit) in the aggregate during the policy period.

Service Tax Registration No:

Premium	₹ 18,375.00
UGST/SGST @9 %	₹ 1,654.00
CGST @9 %	₹ 1,654.00

Contribution to the Environment Relief Fund:₹ 18,375.00

Date of Proposal and declaration:28/06/2025

In witness whereof the undersigned being duly authorized by the company and on behalf of the company has hereto set his hand at RAIPUR on 09/07/2025

The stamp duty of 0.25 paid in cash or demand draft or by pay order,vide Receipt/Challan no: LOA/ENF1/CSD/45/2025/1337 dated the 16/04/2025

For Tata AIG General Insurance Company Limited

Date :09/07/2025
Place :RAIPUR

Policy Servicing Office
Tata AIG General Insurance Company Limited
JEET PLAZA, 2ND FLOOR, BILASPUR ROAD,, FAFADIH CHAUK, RAIPUR – 492001,,RAIPUR,CHHATTISGARH,RAIPUR-492001
Tel No:91-91-9136972224

Insurance is the subject matter of the solicitation. For more details on risk factors, terms and conditions, please read sales brochure carefully before concluding a sale.
TATA AIG General Insurance Company Ltd. Regd. Office: 15th floor, Tower A, Peninsula Business Park,Ganpatrao Kadam Marg, Off Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400 013.
IRDA Registration No.108, CIN No : U85110MH2000PLC128425, PAN : AABCT3518Q, UIN No : IRDAN108CP0058V01201819
Website: www.tataaig.com 24X7 Tollfree Helpline 1800-266-7780 E-mail: customersupport@tataaig.com

TATA AIG INSURANCE
WITH YOU ALWAYS

RECEIPT

Receipt No. : 104141110114441

Receipt Date : 27/06/2025

Policy No : 0304012263 01 00

Received with thanks from REAL ISPAT AND ENERGY PRIVATE LIMITED a sum of ₹ **40,058.00** (Rupees Forty Thousand Fifty Eight And Paise Zero Only) vide Cheque no. 247224 dated 19/06/2025 drawn on AXIS BANK LTD. ,PAYABLE AT PAR branch RAIPUR (CHHATISGARH) towards

Sr. No.	Policy Number	Total Premium (₹)	Utilized from the receipt for policy (₹)	Balance (₹)
1	0304012263 01 00	40,058.00	40,058.00	0.00

Note:
1. This is a computer generated receipt and does not require a signature.
2. Upon issuance of this Receipt, all previously issued temporary receipts, if any, related to this Policy shall be considered null and void.
3. Amounts received by cheque shall be subject to realisation.
4. Any amount received in excess of the Premium is being/shall be refunded by the Company.

GSTIN : 22AABCT3518Q1Z6 - CHHATTISGARH Service Accounting Code : 997139

Revenue (consolidated) Stamp Duty duly paid vide challan No.LOA/ENF1/CSD/83/2024/5365 date 30/11/2024 for applicable cases.

Insurance is the subject matter of the solicitation. For more details on risk factors, terms and conditions, please read sales brochure carefully before concluding a sale.
TATA AIG General Insurance Company Ltd. Regd. Office: 15th floor, Tower A, Peninsula Business Park,Ganpatrao Kadam Marg, Off Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013.
IRDA Registration No.108, CIN No : U85110MH2000PLC128425,PAN : AABCT3518Q
Website: www.tataaig.com 24X7 Tollfree Helpline 1800-266-7780 E-mail: customersupport@tataaig.com

LIABILITY INSURANCE POLICY
(UNDER PUBLIC LIABILITY INSURANCE ACT 1991)

1.OPERATIVE CLAUSE

Whereas the Insured Owner named in the schedule hereto and carrying on business described in the said schedule has applied to the Tata AIG General Insurance Company Limited (hereinafter called the Company) for the Indemnity hereinafter contained and has made a written proposal and declaration which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein and has paid the premium and statutory contribution towards the Environment Relief Fund as per the provisions of the Public Liability Insurance Act and the rules framed thereunder.

NOW THIS POLICY WITNESSETH that subject to the terms, exceptions and conditions contained herein or endorsed hereon, the company will indemnify the insured owner against the statutory liability arising out of accidents occurring during the currency of the policy due to handling hazardous substances as provided for in the said Act and the Rules framed thereunder.

2.DEFINITIONS:

a)"ACT" unless otherwise specifically mentioned shall mean the Public Liability Insurance Act 1991 as amended from time to time;

b)"Accident" means an accident involving a fortuitous, sudden or unintentional occurrence while handling any hazardous substance resulting in continuous, intermittent or repeated exposure to death of, or injury to any person or damage to any property but does not include an accident by reason only of war or radioactivity;

c)"Handling" in relation to any harzardous substance means the manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation by vehicle, use, collection, destruction, conversion, offering for sale, transfer or the like of such hazardous substance;

d)"Hazardous Substance" means any substance or preparation which is defined as hazardous substance under the Environment (Protection) Act, 1986, and exceeding such quantity as may be specified, by notification, by the Central Government;

e)"Owner" means a person who owns, or has control over handling any hazardous substance at the time of accident and includes:
i) in the case of a firm any of its partners;
ii) in the case of an association, any of its members, and
iii)in the case of a company, any of its directors, managers, secretaries or other officers who is/are directly in charge of, and is/are responsible to the company for the conduct of the business of the company;

f) "Turnover" shall mean
i) Manufacturing units-Annual Gross Sales of all goods including all levies and taxes
ii) Godowns/ warehouse owners-Total Annual rental receipts.
iii)Transport Operators-Total Annual freight receipts.
iv)Others-Total Annual gross receipts.

3. EXCLUSIONS:

(1) arising out of wilful or intentional non-compliance of any Statutory provisions.

(2) in respect of fines, penalties, punitive and/or exemplary damages.

(3) arising under any other legislation except in so far as provided for in Section 8 Sub Section (1) and (2) of the Act.

(4) in respect of damage to property owned, leased or hired or under hire purchase or on loan to the Insured or otherwise in the Insured Owner's control, care or custody.

(5) directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power;

(6) directly or indirectly caused by or contributed to by,

(a) ionising radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel

(b) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof.

4. CONDITIONS:

(1) The Insured owner shall give written notice to the Company as soon as reasonably practicable of any claim made against the Insured Owner or of any specific event or circumstance that may give rise to a claim. The Insured Owner shall immediately give to the Company copies of notice of applications forwarded by the Collector and all

such additional information and or assistance that the company may require.

(2) No admission, offer, promise or payments shall be made or given by or on behalf of the Insured owner under this policy without the written consent of the Company.

(3) The Company shall not be liable for any claim for relief made after five years from the date of occurrence of the accident.

(4) The Insured Owner shall keep record of annual turnover, and at the time of renewal of insurance declare such turnover and all other details as may be required by the Company. The Company shall at all reasonable times have full rights to call for and examine such records.

(5) If at the time of happening of any accident resulting in a claim under this policy there be any other insurance covering the same liability, then the Company shall not be liable to pay or contribute more than its ratable proportion of such liability.

(6) This policy may be cancelled by the Insured Owner by giving 30 days notice in writing to the company in which event the Company will retain premium at short period scale subject to there not having occurred an accident during the policy period which may give rise to a claims(s), failing which no refund of premium shall be allowable.

(7) This Policy may also be cancelled by the Insurer by giving 30 days notice in writing to the Insured Owner in which event the Company shall be liable to repay on demand a ratable proportion of the premium for the unexpired term from the date of cancellation.

(8) If the Company shall disclaim liability to the Insured Owner for any claim hereunder and such claim shall not within 12 calendar months from the date of such disclaimer have been made the subject matter of a suit in a competent court of law, then the claim for the practical purposes shall be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder or be made the subject matter of any suit.

(9) The Company shall not be liable to make any payment in respect of any claim if such claim shall be in any manner fraudulent or supported, by any person on behalf of the Insured Owner and/or if the insurance has been continued in consequence of any material misstatement or non-disclosure of any material information by or on behalf of the Insured Owner. In such a case if the Company pays any amount to the claimant due to any statutory provision such amount shall be recoverable from the Insured Owner.

(10) The Policy and the Schedule shall be read together as one contract and any word or expression to which a specific meaning has been assigned in the Act and the Rules framed thereunder or in this Policy shall bear such specific meaning.

(11) Any dispute regarding interpretation of the terms, conditions and exclusions of this Policy shall be determined in accordance with the law and practice of a court of competent jurisdiction within India.

GRIEVANCE REDRESSAL POLICY

Grievance Lodgment Stage

The Company is committed to extend the best possible services to its customers. However, if you are not satisfied with our services and wish to lodge a complaint, please feel free to contact us through below channels:

Call us 24X7 toll free helpline 1800 266 7780
Email us at customersupport@tataaig.com

Write to us at : Customer Support, Tata AIG General Insurance Company Limited A-501 Building No.4 IT Infinity Park, Dindoshi, Malad (E), Mumbai - 400097
Visit the Servicing Branch mentioned in the policy document

Nodal Officer

Please visit our website at www.tataaig.com to know the contact details of the Nodal Officer for your servicing branch.
After investigating the grievance internally and subsequent closure, we will send our response within a period of 10 days from the date of receipt of the complaint by the Company or its office in Mumbai. In case the resolution is likely to take longer time, we will inform you of the same through an interim reply.

Escalation Level 1

For lack of a response or if the resolution still does not meet your expectations, you can write to manager.customersupport@tataaig.com. After investigating the matter internally and subsequent closure, we will send our response within a period of 8 days from the date of receipt of your complaint.

Escalation Level 2

For lack of a response or if the resolution still does not meet your expectations, you can write to the Head-Customer Services at head.customerservices@tataaig.com. After examining the matter, we will send you our response within a period of 7 days from the date of receipt of your complaint. Within 30 days of lodging a complaint with us, if you do not get a satisfactory response from us and you wish to pursue other avenues for redressal of grievances, you may approach Insurance Ombudsman appointed by IRDA under the Insurance Ombudsman Scheme. Given below are details of the Insurance Ombudsman located at various centers.

List of Insurance Ombudsman Offices

Office of the Ombudsman	Address & Contact details	Jurisdiction of Office Union Territory, District
AHMEDABAD	Office of the Insurance Ombudsman, Jeevan Prakash Building, 6th Floor, Tilak Marg, Relief Road, Ahmedabad - 380 001. Tel.: 079 - 25501201/02/05/06 Email: bimalokpal.ahmedabad@ecoi.co.in	Gujarat, Dadra & Nagar Haveli, Daman and Diu.
BENGALURU	Office of the Insurance Ombudsman, Jeevan Soudha Building, PID No. 57-27-N-19 Ground Floor, 19/19, 24th Main Road, JP Nagar, Ist Phase, Bengaluru – 560 078. Tel.: 080 - 26652048 / 26652049 Email: bimalokpal.bengaluru@ecoi.co.in	Karnataka
BHOPAL	Office of the Insurance Ombudsman, Janak Vihar Complex, 2nd Floor, 6, Malviya Nagar, Opp. Airtel Office, Near New Market, Bhopal – 462 003. Tel.: 0755 - 2769201 / 2769202 Fax: 0755 - 2769203 Email: bimalokpal.bhopal@ecoi.co.in	Madhya Pradesh Chattisgarh
BHUBANESHWAR	Office of the Insurance Ombudsman, 62, Forest park, Bhubneshwar - 751 009. Tel.: 0674 - 2596461 /2596455 Fax: 0674 - 2596429 Email: bimalokpal.bhubaneswar@ecoi.co.in	Orissa
CHANDIGARH	Office of the Insurance Ombudsman, S.C.O. No. 101, 102 & 103, 2nd Floor, Batra Building, Sector 17 – D, Chandigarh - 160 017. Tel.: 0172 - 2706196 / 2706468 Fax: 0172 - 2708274 Email : bimalokpal.chandigarh@ecoi.co.in	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Chandigarh
CHENNAI	Office of the Insurance Ombudsman, Fatima Akhtar Court, 4th Floor, 453, Anna Salai, Teynampet, CHENNAI - 600 018. Tel.: 044 - 24333668 / 24335284 Fax: 044 - 24333664 Email : bimalokpal.chennai@ecoi.co.in	Tamil Nadu, Pondicherry Town and Karaikal (which are part of Pondicherry).
DELHI	Office of the Insurance Ombudsman, 2/2 A, Universal Insurance Building, Asaf Ali Road, New Delhi – 110 002. Tel.: 011 - 23239633 / 23237532 Fax: 011 - 23230858 Email: bimalokpal.delhi@ecoi.co.in	Delhi
GUWAHATI	Office of the Insurance Ombudsman, Jeevan Nivesh, 5th Floor, Nr. Panbazar over bridge, S.S. Road, Guwahati – 781001(ASSAM). Tel.: 0361 - 2132204 / 2132205 Fax: 0361 - 2732937 Email : bimalokpal.guwahati@ecoi.co.in	Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh, Nagaland and Tripura
HYDERABAD	Office of the Insurance Ombudsman, 6-2-46, 1st floor, "Moin Court", Lane Opp. Saleem Function Palace, A. C. Guards, Lakdi-Ka-Pool, Hyderabad - 500 004. Tel.: 040 - 65504123 / 23312122 Fax: 040 - 23376599 Email : bimalokpal.hyderabad@ecoi.co.in	Andhra Pradesh, Telangana, Yanam and part of Territory of Pondicherry.
JAIPUR	Office of the Insurance Ombudsman, Jeevan Nidhi – II Bldg., Gr. Floor, Bhawani Singh Marg, Jaipur-302 005. Tel.: 0141 - 2740363 Email: Bimalokpal.jaipur@ecoi.co.in	Rajasthan
ERNAKULAM	Office of the Insurance Ombudsman, 2nd Floor, Pulinat Bldg., Opp. Cochin Shipyard, M. G. Road, Ernakulam - 682 015. Tel.: 0484 - 2358759 / 2359338 Fax: 0484 - 2359336 Email : bimalokpal.ernakulam@ecoi.co.in	Kerala, Lakshadweep, Mahe-a part of Pondicherry
KOLKATA	Office of the Insurance Ombudsman, Hindustan Bldg. Annexe, 4th Floor, 4, C.R. Avenue, KOLKATA-700 072. Tel.: 033 - 22124339 / 22124340 Fax : 033 - 22124341 Email: bimalokpal.kolkata@ecoi.co.in	West Bengal, Sikkim, Andaman & Nicobar Islands
LUCKNOW	Office of the Insurance Ombudsman, 6th Floor, Jeevan Bhawan, Phase-II, Nawal Kishore Road, Hazratganj, Lucknow - 226 001. Tel.: 0522 - 2231330 / 2231331 Fax: 0522 - 2231310 Email : bimalokpal.lucknow@ecoi.co.in	Districts of Uttar Pradesh : Laitpur, Jhasi, Mahoba, Hamirpur, Banda, Chitrakoot, Allahabad, Mirzapur, Sonbhabdra, Fatehpur, Pratapgarh, Jaunpur, Varanasi, Gazipur, Jalaun, Kanpur, Lucknow, Unnao, Sitapur, Lakhimpur, Bahraich, Barabanki, Raebareli, Sravasti, Gonda, Faizabad, Amethi, Kaushambi, Balrampur, Basti, Ambedkarnagar, Sultanpur, Maharajgang, Santkabirnagar, Azamgarh, Kushinagar, Gorkhpur, Deoria, Mau, Ghazipur, Chandauli, Ballia, Sidharathnagar

TATA AIG INSURANCE WITH YOU ALWAYS

MUMBAI	Office of the Insurance Ombudsman, 3rd Floor, Jeevan Seva Annexe, S. V. Road, Santacruz (W), Mumbai - 400 054. Tel.: 022 - 26106552 / 26106960 Fax: 022 - 26106052 Email : bimalokpal.mumbai@ecoi.co.in	Goa, Mumbai Metropolitan Region excluding Navi Mumbai & Thane
NOIDA	Office of the Insurance Ombudsman, Bhagwan Sahai Palace, 4th Floor, Main Road, Naya Bans, Sector 15, Distt: Gautam Buddh Nagar, U.P-201301. Tel.: 0120-2514250 / 2514252 / 2514253 Email : bimalokpal.noida@ecoi.co.in	State of Uttaranchal and the following Districts of Uttar Pradesh : Agra, Aligarh, Bagpat, Bareilly, Bijnor, Budaun, Bulandshehar, Etah, Kanooj, Mainpuri, Mathura, Meerut,Moradabad, Muzaffarnagar, Oraiyya, Pilibhit, Etawah, Farrukhabad, Firozbad, Gautambodhanagar, Ghazaibad, Hardoi, Shahjahanpur, Hapur, Shamli, Rampur, Kashganj, Sambhal, Amroha, Hathras, Kanshiramnagar, Saharanpur
PATNA	Office of the Insurance Ombudsman, 1st Floor,Kalpana Arcade Building, Bazar Samiti Road, Bahadurpur, Patna 800 006. Tel.: 0612-2680952 Email:bimalokpal.patna@ecoi.co.in	Bihar, Jharkhand
PUNE	Bhagwan Sahai Palace , 4th Floor, Main Road, Naya Bans, Sector 15, G.B. Nagar, Noida. NOIDA – 201301 Tel: 0120-2514250/51/53 Email: bimalokpal.noida@gbic.co.in	Maharashtra, Area of Navi Mumbai and Thane excluding Mumbai Metropolitan Region

DIRECTORATE, INDUSTRIAL HEALTH & SAFETY, RAIPUR (C.G.)

Block-III, 2nd Floor, Indravati Bhawan, Naya Raipur (C.G.)

e-mail - dihscg@gmail.com
Ph. No. - 0771-2442360

Application No. : **827389**

Raipur, dated : **23/07/2024**

To,

The Occupier,
REAL ISPAT AND ENERGY PRIVATE LIMITED
Village-Dhaurabhata,Tehsil-Bhatapara,District-Balodabazar

Sub :- ON-SITE EMERGENCY PLAN.

Ref :- Your documents on the subject dated 24/04/2024

Please be informed that documents (placed below containing pages (124 duly verified by the occupier) in which the occupier has disclosed the information related to hazards at his installation in compliance of the section 41-B of the factories Act, 1948 and which also describes his On-Site Emergency Plan (After supplementing certain modification by the MAHC Cell distinctively marked on the plan) is hereby notified final with the following stipulations :-

(i) That in the case any relevant information as required under the section 41-B of the Factories Act, 1948, If has not been disclosed this notification does not provide any exemptin in this regard and the occupier himself is liable for concealing the information.

(ii) That the documents will be subjected for review :-

(a) Generally after a period of two years from the date of issue of this order.

(b) During any intervening period of two years if it is instructed to do so by this cell.

OR

(c) Invariably, when any change in the plant, machinery, Building, Structure, substance, storage or the manufacturing processes/operations is intended by the occupier or his factory persons;

(iii) That the documents will have to be reviewed (as above) always in consultation with this cell and it will be occupier's liability to provide reasonable time for review and get notified final for further period;

(iv) That suitable training/mock-drill/exercise be arranged at the factory to make all concerned familiar with their duties/ responsibilities as outlined in the on-site emergency and be well trained to act accordingly at any emergency and save lives as well as the property:

(v) That reports/ observation of mock-drills/rehearsal or action at any emergeny situation that might have arisen, shall be furnished by the factory management to this cell to assess efficiency of the plan.

(vi) The necessary copies of this plan or part thereof be got multiplied by the factory management and provide to all concerning statutory authorities and other persons and also placed at designated emergency control centre in an accessible place to all concerned in the factory.

(vii) That in case of failure to comply with the stipulations or the relevant provisions of the law, not with standing legal proceeding to which the occupier may be subjected, he himself will bear (for any suspension/refusal rejection of his licence to work the factory) the liability of such action.

Encl.:- As above

Alarmelmangai D
Digitally signed by Alarmelmangai D
Date: 2024.07.23 16:04:14 +05'30'

Chief Inspector of Factories
Govt.of C.G. Raipur

REAL ISPAT & ENERGY PVT. LTD

SAFETY TRAINING ATTENDENCE SHEET

RIEPL/HSE/009

VENUE: SJD

DATE & TIME: 20/01/2026

TOPIC: General Safety. PPEs. Housekeeping

FACULTY: SURENDRA Kumar

SR NO.	NAME	DESIGNATION	DEPARTMENT	SIGNATURE	REMARKS
1	Jitendra Bhuiya	Khalashi	Housekeeping	जितेन्द्र कुमार	
2	Dhananjay Bhuiya	Khalashi	Ashok singh	धनंजय	
3	Bodri Bhuiya	Khalashi	"	बद्री	
4	Sundar Bhuiya	Khalashi	"	Sunder Bhuiya	
5	Vinay Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
6	Sharwan Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
7	Binesh Kumar	Khalashi	"	Binesh Kumar	
8	Rajdev Bhuiya	Khalashi	"	राजदेव	
9	Ram Bhuiya	Khalashi	"	राम	
10	Kalpu Bhuiya	Khalashi	"	कल्पु	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

SIGNATURE OF TRAINER

REAL ISPAT & ENERGY PVT. LTD

SAFETY TRAINING ATTENDENCE SHEET

RIEPL/HSE/009

VENUE: SJD

DATE & TIME: 14/01/26

TOPIC: Housekeeping

FACULTY: Surendra Kumar

SR NO.	NAME	DESIGNATION	DEPARTMENT	SIGNATURE	REMARKS
1	Jitendra Bhuiya	Khalashi	Housekeeping	जितेन्द्र कुमार	
2	Dhananjay Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
3	Ram Bhuiya	Khalashi	"	राम	
4	Kalpu Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
5	Rajdev Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
6	Binesh Kumar	Khalashi	"	[illegible]	
7	Sharwan Bhuiya	Khalashi	"	Binesh Kumar	
8	Vinay Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
9	Sundar Bhuiya	Khalashi	"	Sundar Bhuiya	
10	Badri Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

SIGNATURE OF TRAINER

REAL ISPAT & ENERGY PVT. LTD

SAFETY INDUCTION ATTENDENCE SHEET .RIEPL/HSE/001

VENUE: Safety office

DATE & TIME: 10/01/2026

TOPIC: Safety Induction training

FACULTY: SURENDRA Kumar

SR NO.	NAME	DESIGNATION	DEPARTMENT	SIGNATURE	REMARKS
1	Jitendra Bhuiya	Khalashi	Housekeeping	[illegible]	
2	Dhananjay Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
3	Badri Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
4	Sundar Bhuiya	Khalashi	"	Sundar Bhuiya	
5	Vinay Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
6	Sharwan Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
7	Rajdar Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
8	Ram Bhuiya	Khalashi	"	राम	
9	Kalpu Bhuiya	Khalashi	"	[illegible]	
10	Binesh Kumar	Khalashi	"	Binesh Kumar	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

SIGNATURE OF TRAINER

REAL ISPAT & ENERGY PVT. LTD

SAFETY TRAINING ATTENDENCE SHEET RIEPL/HSE/009

VENUE: Boiler area Road side

DATE & TIME: 12/01/2026

TOPIC: Mandatory PPEs

FACULTY: SURENDRA Kumar

SR NO.	NAME	DESIGNATION	DEPARTMENT	SIGNATURE	REMARKS
1	Mumtaj Ansari	Carpenter	Civil	मुमताज अंसारी	
2	Sabir Ansari	Carpenter	Civil	साबिर अंसारी	
3	Sharafat Ansari	Fitter	"	शराफत अंसारी	
4	Manjoor Ansari	Helper	"	मंजूर	
5	Mridayalal	Helper	"	हिरदय लाल	
6	Heradas Jogdi	Sup.	"	हेरादास	
7	Chetan	Mension	"	चेतन [illegible]	
8	Manoj sahu	Mension	"	मनोज साहू	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

SIGNATURE OF TRAINER

REAL ISPAT & ENERGY PVT. LTD

SAFETY INDUCTION ATTENDENCE SHEET

RIEPL/HSE/001

VENUE: Safety office

DATE & TIME: 02/01/2026

TOPIC: Safety Induction training

FACULTY: Surendra Kumar

SR NO.	NAME	DESIGNATION	DEPARTMENT	SIGNATURE	REMARKS
1	Mumtaj Ansari	Carpenter	Civil	मुमताज	[illegible]
2	Sabir Ansari	Carpenter	"	साबीर	[illegible]
3	Shaarapat Ansari	Fitter	"	सुरापत अंसारी	[illegible]
4	Manjoor Ansari	Helper	"	मंजूर	
[illegible]	Dindayal sahu	Helper	"	दिनदयाल	
6	Homdas Yadav	Sup.	"	हेमदास	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
[illegible]					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

SIGNATURE OF TRAINER

सेलग्नक – 06

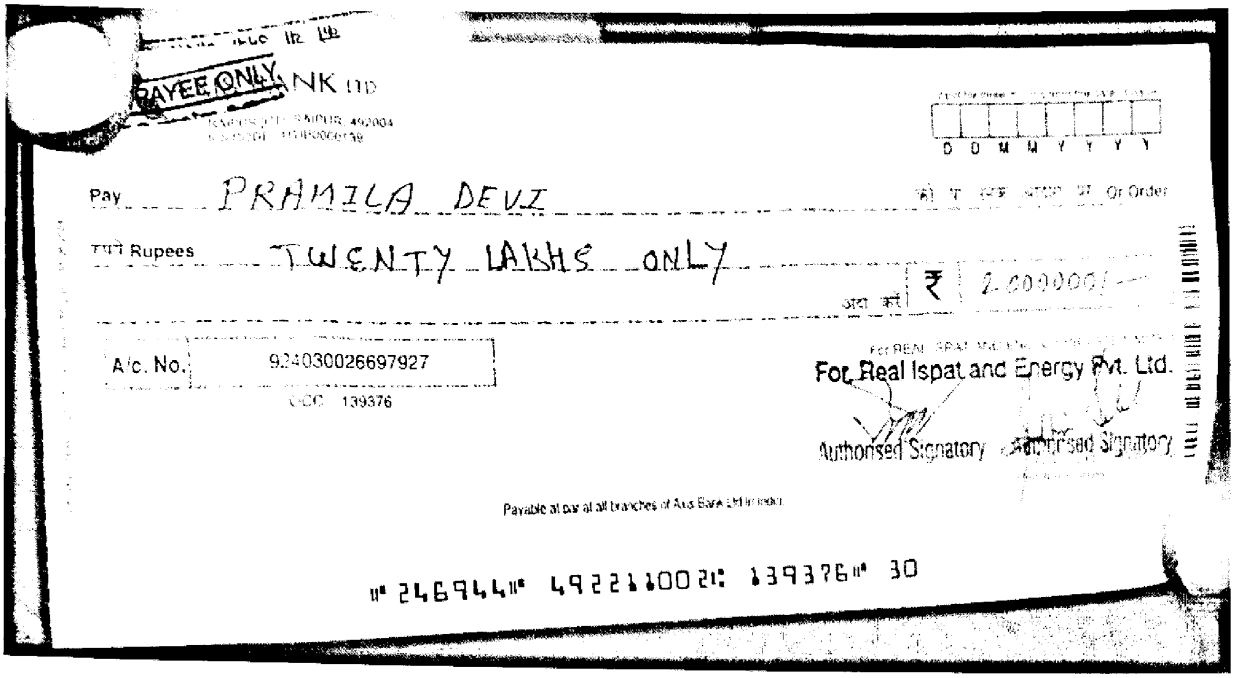

PAYEE ONLY

Pay PRAMILA DEVI ... Or Order

Rupees TWENTY LAKHS ONLY

₹ 2,000000/-

A/c. No. 924030026697927

CC 139376

For Real Ispat and Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory   Authorised Signatory

Payable at par at all branches of Axis Bank Ltd in India

⑈246944⑈ 492211002⑆ 139376⑈ 30

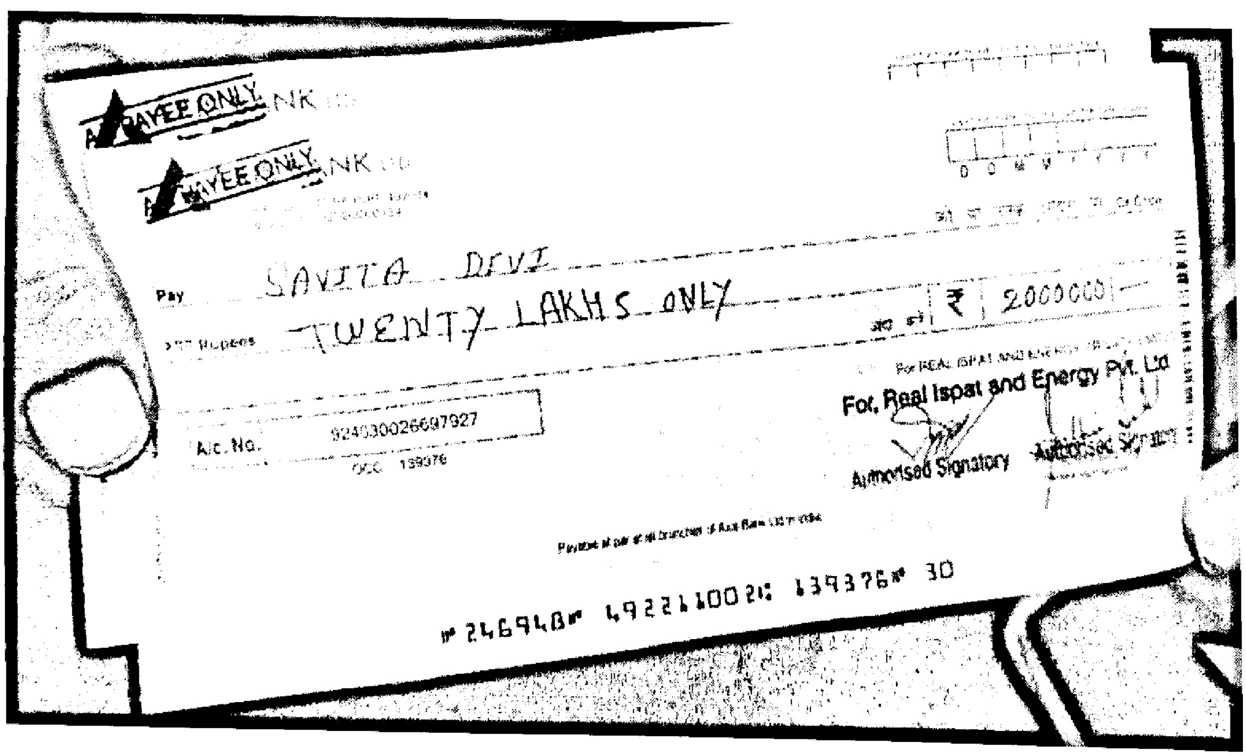

PAYEE ONLY

Pay SAVITA DEVI

Rupees TWENTY LAKHS ONLY

₹ 2000000/-

A/c. No. 924030026697927

CC 139376

For Real Ispat and Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory   Authorised Signatory

Payable at par at all branches of Axis Bank Ltd in India

⑈246948⑈ 492211002⑆ 139376⑈ 30

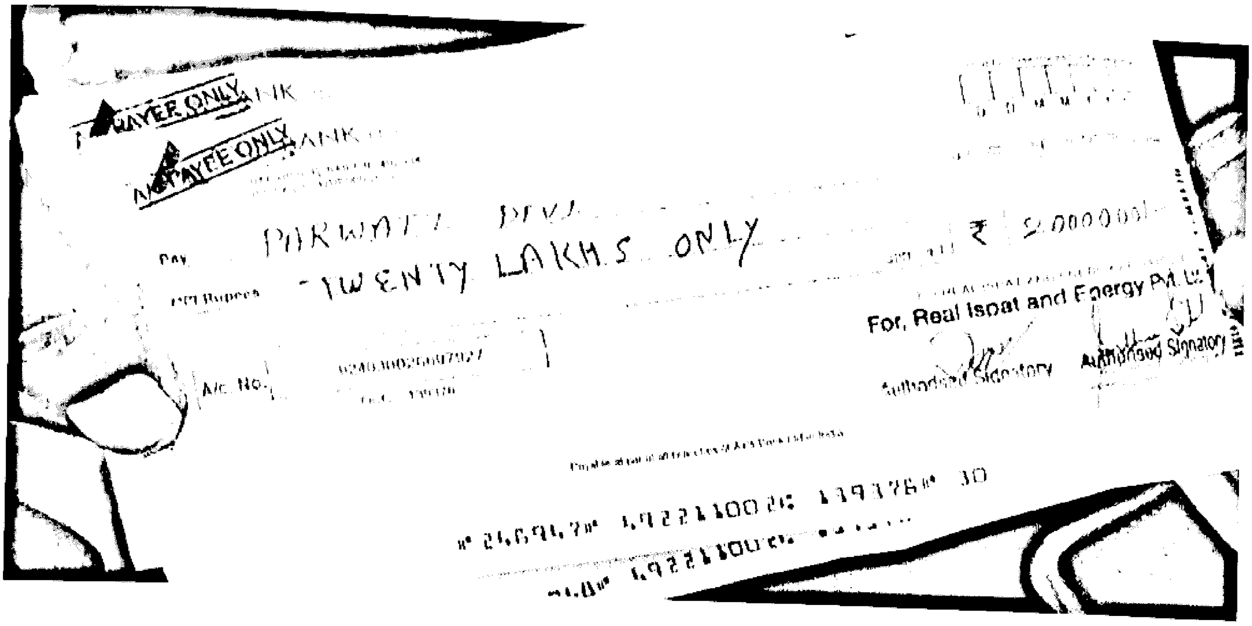
A/c PAYEE ONLY

Pay PARWATI DEVI

Rupees TWENTY LAKHS ONLY

₹ 2,000,000/-

For, Real Ispat and Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory Authorised Signatory

A/c. No.

⑈246947⑈ 492211002⑆ 139376⑈ 30

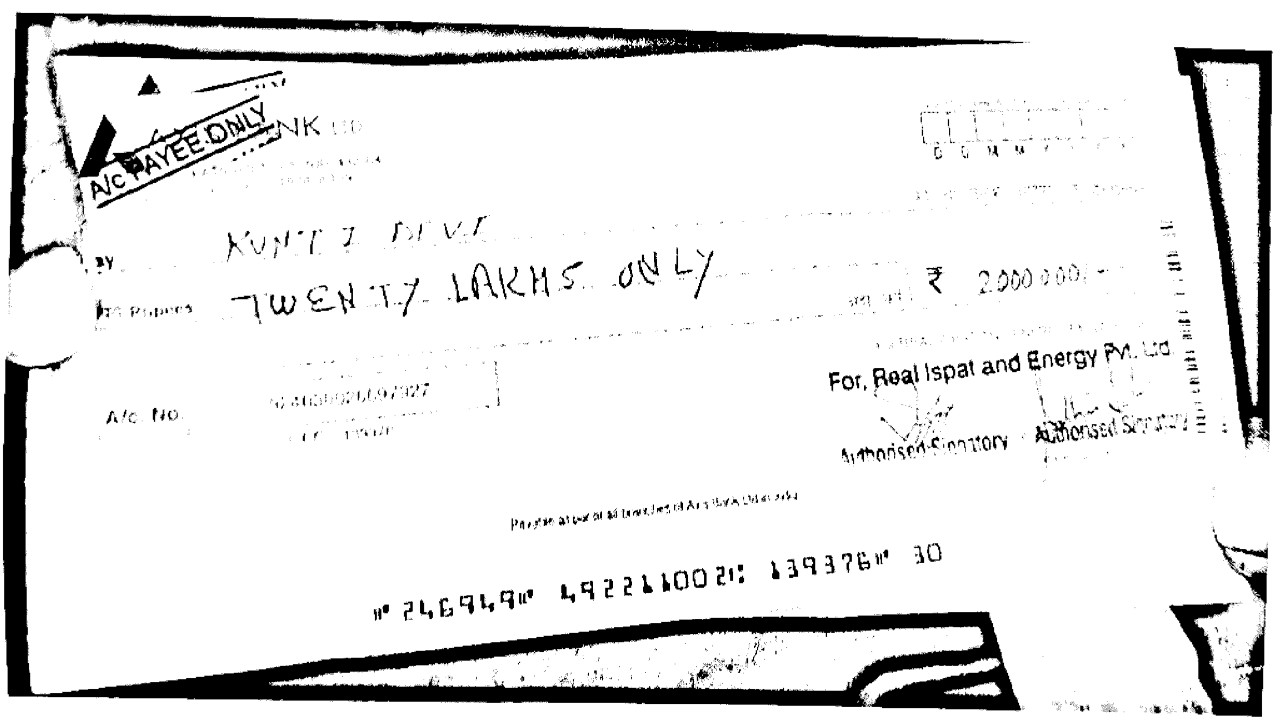
A/c PAYEE ONLY

Pay KUNTI DEVI

Rupees TWENTY LAKHS ONLY

₹ 2,000,000/-

For, Real Ispat and Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory Authorised Signatory

A/c. No.

⑈246949⑈ 492211002⑆ 139376⑈ 30

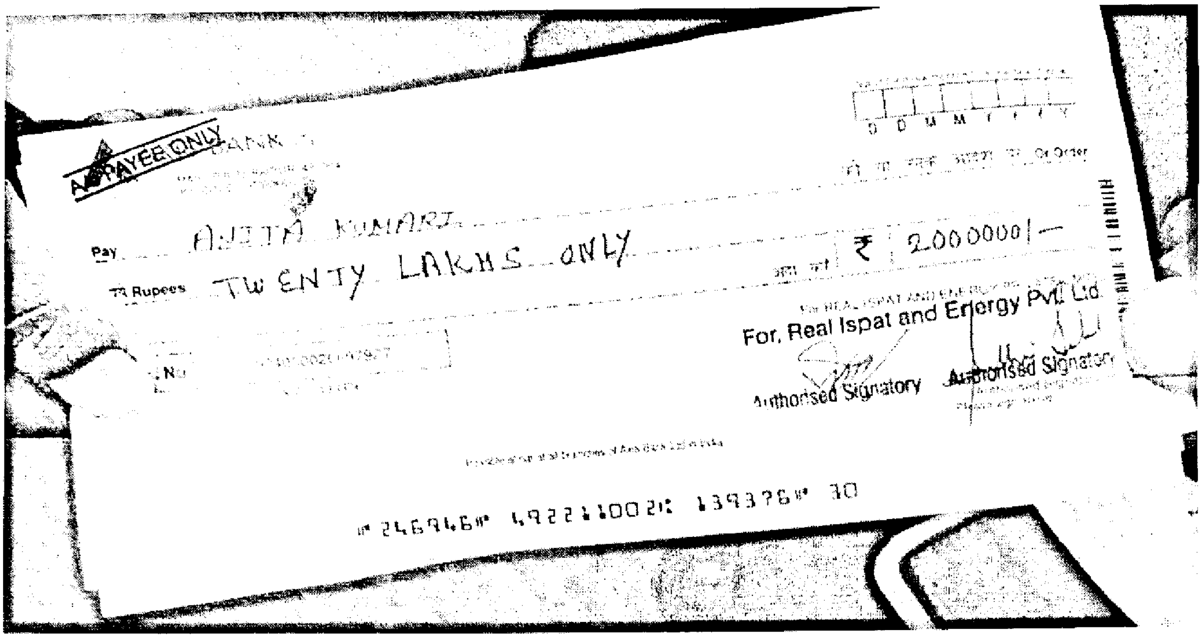
A/c PAYEE ONLY
D D M M Y Y Y Y
Pay AJITA KUMARI
Rupees TWENTY LAKHS ONLY
₹ 2000000/-
For, Real Ispat and Energy Pvt. Ltd.
Authorised Signatory
Authorised Signatory
⑈246946⑈ 492211002⑆ 139376⑈ 30

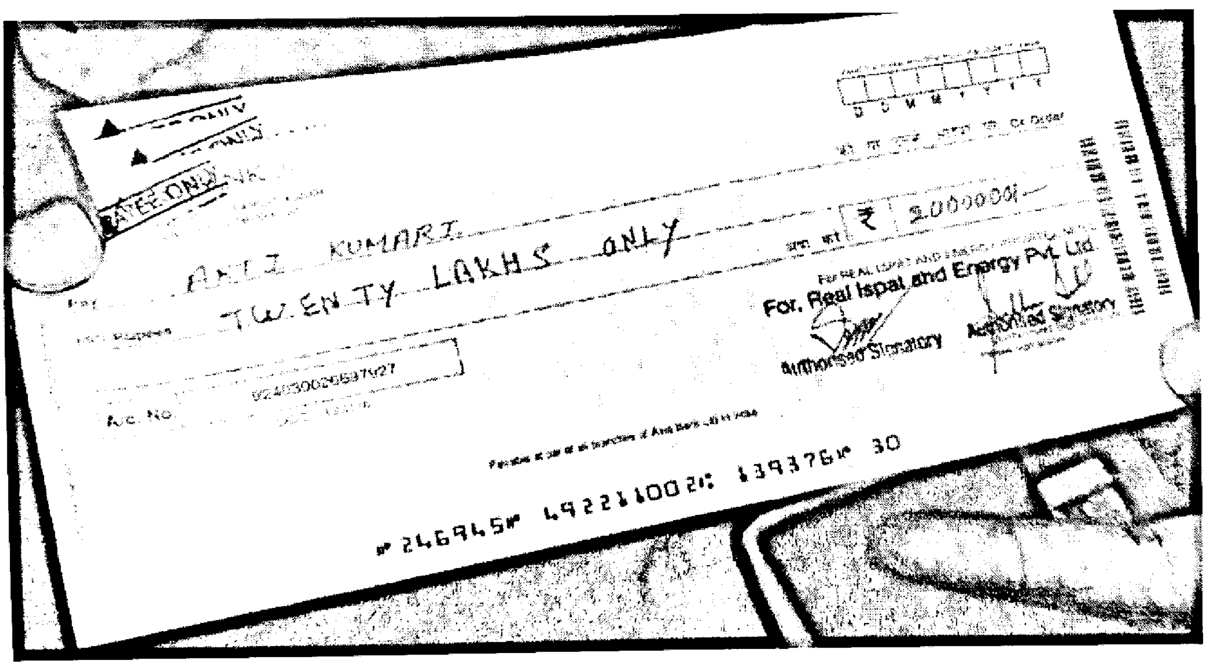
PAYEE ONLY
D D M M Y Y Y Y
KUMARI
Rupees TWENTY LAKHS ONLY
₹ 2000000/-
For, Real Ispat and Energy Pvt. Ltd.
Authorised Signatory
Authorised Signatory
A/c. No.
⑈246945⑈ 492211002⑆ 139376⑈ 30

A/c PAYEE ONLY

AXIS BANK LTD

RAIPUR (CT), RAIPUR, 492004
IFS CODE : UTIB0000135

Valid for three months from the date of issue

29 01 2026
D D M M Y Y Y Y

Pay RAMU BHUIYAN

को या उनके आदेश पर Or Order

रुपये Rupees FIVE LAKHS ONLY

अदा करें ₹ 5,00,000/-

A/c. No. 924030026697927

OCC 139376

For REAL ISPAT AND ENERGY PRIVATE LIMITED
For, Real Ispat and Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Authorised Signatory
Please sign above

Payable at par at all branches of Axis Bank Ltd in India

⑈246959⑈ 492211002⑆ 139376⑈ 30

A/c PAYEE ONLY

AXIS BANK LTD

RAIPUR (CT), RAIPUR, 492004
IFS CODE : UTIB0000135

Valid for three months from the date of issue

29 01 2026
D D M M Y Y Y Y

Pay KALAPU BHUIYA

को या उनके आदेश पर Or Order

रुपये Rupees FIVE LAKHS ONLY

अदा करें ₹ 5,00,000/-

A/c. No. 924030026697927

OCC 139376

For REAL ISPAT AND ENERGY PRIVATE LIMITED
For, Real Ispat and Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Authorised Signatory
Please sign above

Payable at par at all branches of Axis Bank Ltd in India

⑈246960⑈ 492211002⑆ 139376⑈ 30

A/c PAYEE ONLY

AXIS BANK LTD
RAIPUR (CT) RAIPUR 492004
IFS CODE UTIB0000139

Valid for three months from the date of issue

Date: 2 7 0 1 2 0 2 6
D D M M Y Y Y Y

Pay Mautaj Ansari को या उनके आदेश पर Or Order

रुपये Rupees Five Lack Only.

अदा करें ₹ 5,00,000/-

A/c. No. 924030026697927
OCC 139376

For REAL ISPAT AND ENERGY PRIVATE LIMITED
For, Real Ispat and Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory   Authorised Signatory
Authorised Signatory(ies)
Please sign above

Payable at par at all branches of Axis Bank Ltd in India

⑈246952⑈ 492211002⑆ 139376⑈ 30

A/c PAYEE ONLY

AXIS BANK LTD
RAIPUR (CT) RAIPUR 492004
IFS CODE UTIB0000139

Valid for three months from the date of issue

Date: 2 7 0 1 2 0 2 6
D D M M Y Y Y Y

Pay SARAFT ANSARI को या उनके आदेश पर Or Order

रुपये Rupees FIVE LACS ONLY

अदा करें ₹ 5,00,000/-

A/c. No. 924030026697927
OCC 139376

For REAL ISPAT AND ENERGY PRIVATE LIMITED
For, Real Ispat and Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory   Authorised Signatory
Authorised Signatory(ies)
Please sign above

Payable at par at all branches of Axis Bank Ltd in India

⑈246950⑈ 492211002⑆ 139376⑈ 30

A/c PAYEE ONLY

AXIS BANK LTD
RAIPUR (CT) RAIPUR 492004
IFS CODE UTIB0000139

Valid for three months from the date of issue

Date: 2 7 0 1 2 0 2 6
D D M M Y Y Y Y

Pay SHABIR ANSARI को या उनके आदेश पर Or Order

रुपये Rupees FIVE LACS ONLY

अदा करें ₹ 5,00,000/-

A/c. No. 924030026697927
OCC 139376

For REAL ISPAT AND ENERGY PRIVATE LIMITED
For, Real Ispat and Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory   Authorised Signatory
Authorised Signatory(ies)
Please sign above

Payable at par at all branches of Axis Bank Ltd in India

⑈246951⑈ 492211002⑆ 139376⑈ 30

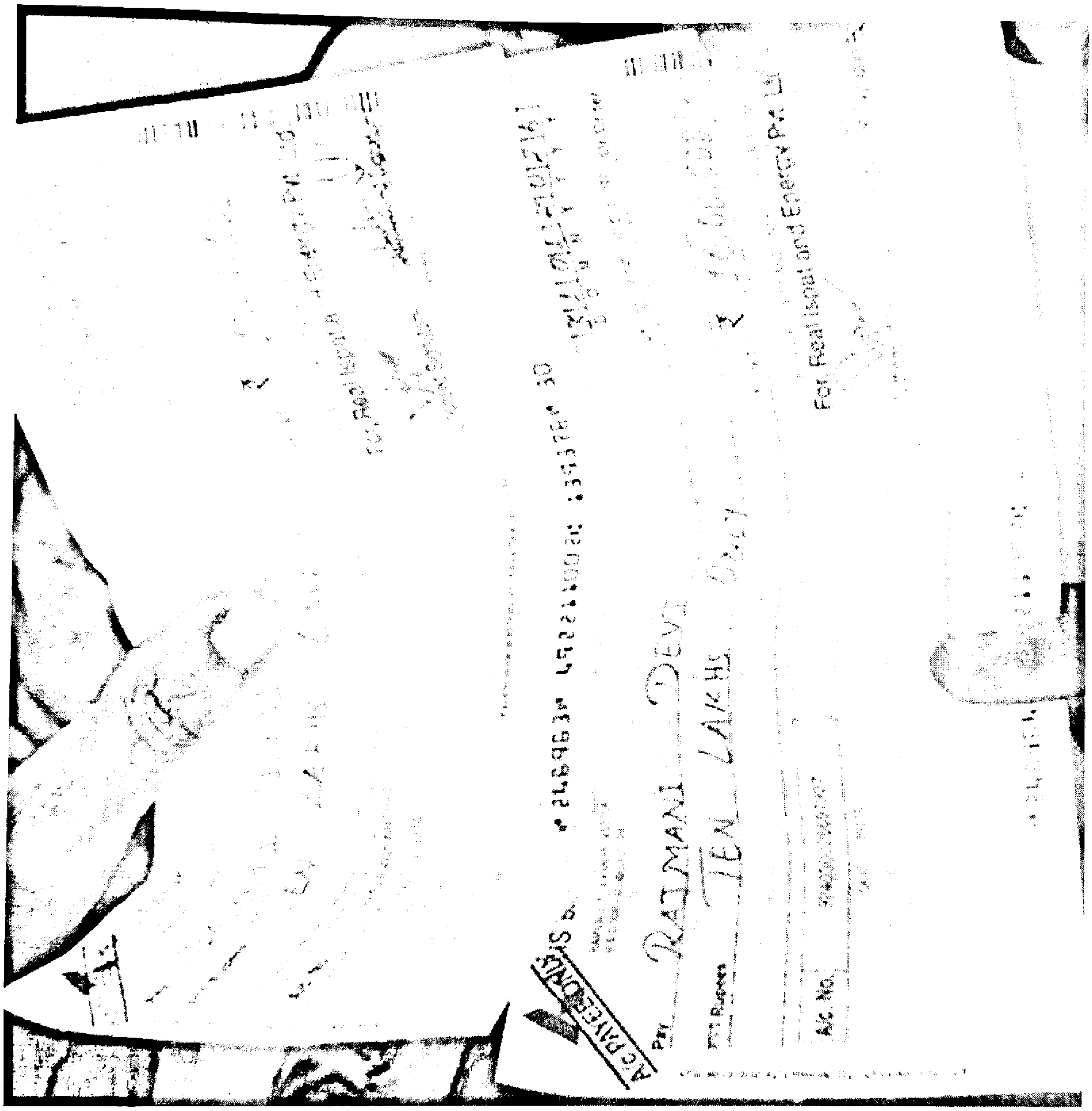

संलग्न – 07

DR NIRVED JAIN
MBBS MS Mch Plastic Surgery
Consultant Aesthetic Plastic Surgeon

Member INTERPLAST Germany e.v.

Deutsche CLEFT Kinderhilfe e.V. German Cleft Children's Aid Society Treatment Partner

Dr. NIRVED JAIN A surgeon of emotions

Blue Venus PLASTIC SURGERY

Consultation Timings : 10 am to 5 pm (Monday to Saturday) SUNDAY CLOSED

Date :

Age/Sex :

B.P. :
H.R. :
SPO2 :
Wt. :
R.B.S. :
Temp. :

MEDICAL FITNESS CERTIFICATE

28.02.2026

To Whom So Ever It May Concern

This is to certify that Kalpu Bhuiya S/O Shri Sidi Bhuiya, 45 Years old male was admitted in this hospital on 24.01.2026 for 25% Burns was operated for the same. He has been discharge from the hospital on 25.02.2026. He is fit to resume his duty.

Seal & Signature of Doctor

Dr (Mrs.) Nirved Jain
M.S. M.C.H. (Plastic Surgery)
Regd. No. C.G.M.C. 4253/2012
New Shanti Nagar, Raipur (C.G.)

+91 - 7400558800 WhatsApp Only : +91 - 9827106414

BLUE VENUS PLASTIC SURGERY CLINIC
Inside Jeewan Memorial Hospital, New Shanti Nagar, Street No. 4B, Raipur (C.G.)- 492007
www.bluevenuscosmeticsurgery.com / www.bluevenusplasticsurgery.com
www.drnirvedjain.com / www.aestheticsurgery.co.in
E-mail info@bluevenusplasticsurgery.com / bluevenusplasticsurgery@gmail.com

DR NIRVED JAIN
MBBS MS Mch Plastic Surgery
Consultant Aesthetic Plastic Surgeon

Member
INTERPLAST Germany e.V.

Deutsche CLEFT Kinderhilfe e.V.
German Cleft Children's Aid Society
Treatment Partner

Dr. NIRVED JAIN
A surgeon of emotions

Blue Venus
PLASTIC SURGERY

Consultation Timings : 10 am to 5 pm (Monday to Saturday) SUNDAY CLOSED

Date :
Age/Sex :

B.P. :
H.R. :
SPO2 :
Wt. :
R.B.S. :
Temp. :

MEDICAL FITNESS CERTIFICATE

19.03.2026

To Whom So Ever It May Concern

This is to certify that Mr. Sabir Ansari s/o Jan Md Ansari, 37 Years old male was admitted in this hospital on 31.01.2026 for 39% Burns was operated for the same. He has been discharge from the hospital on 16.03.2026. He is fit to resume his duty.

Seal & Signature of Doctor
Dr (Mrs.) Nirved Jain
M.S. M.C.H. (Plastic Surgery)
Regd. No. C.G.M.C. 4253/2012
New Shanti Nagar. Raipur (C.G.)

BURN & TRAUMA RESEARCH CENTER

(A UNIT OF BIHAR BURN & TRAUMA RESEARCH CENTER PVT. LTD., PATNA)
OPP. RAMA MAGNETO MALL, NEAR VAISHALI NAGAR CHOWK, VINOBA NAGAR, BILASPUR (C.G.)
TELEPHONE : 07752 - 412837, MOBILE : 077470 - 15926, 077470 - 15927

Ref No. ____________ Date 11/03/2026

'MEDICAL FITNESS CERTIFICATE

To Whom So Ever It May Concern

This is to certify that Mr. Mantaj Ansari , Age- 25Yr/M ,S/O- Mr.Jan Mohammad Ansari ,R/O- W.N. 04 Vill- Rajahara ,P/S- Meral ,Dist. –Garhwa Jharkhand ,Was admitted in this hospital on 22.01.2026 for 13% Thermal Burn was treated for the same. He has been discharge from the hospital on 02.02.2026. He is fit to resume his duty .

Seal & Signature of doctor

Dr. Shashikant Sahu
Cosmetic, Plastic & Burn Surgeon
M.B.B.S., M.S. (General Surgery)
M.Ch. (Plastic Surgery)
Reg. No. CGMC 240/04

Scanned with OKEN Scanner

BURN & TRAUMA RESEARCH CENTER
(A UNIT OF BIHAR BURN & TRAUMA RESEARCH CENTER PVT. LTD., PATNA)
OPP. RAMA MAGNETO MALL, NEAR VAISHALI NAGAR CHOWK, VINOBA NAGAR, BILASPUR (C.G.)
TELEPHONE : 07752 - 412837, MOBILE : 077470 - 15926, 077470 - 15927

Ref. No. ____________ Date 11/03/2026

'MEDICAL FITNESS CERTIFICATE'

To Whom So Ever It May Concern

This is to certify that Mr. Saraft Ansari , Age- 33Yr/M ,S/O- Mr.JRamjan Shekh,R/O- W.N. 04 Vill- Rajahara ,P/S- Meral ,Dist. – Garhwa Jharkhand ,Was admitted in this hospital on 22.01.2026 for 19% Thermal Burn was treated for the same. He has been discharge from the hospital on 02.02.2026. He is fit to resume his duty .

Seal & Signature of doctor

Dr. Shashikant Sahu
Cosmetic, Plastic & Burn Surgeon
M.B.B.S., M.S. (General Surgery)
M.Ch. (Plastic Surgery)
Reg. No. CGMC 240/04

Scanned with OKEN Scanner